उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

को

मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालयों के परिनियमों से सम्बन्धित समिति का

प्रतिवेदन

(सदन में ४ जनवरी १९७२ को प्रस्तुत किया गया)

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।

१९७२

समिति के सदस्य

1—श्री गोपाल नारायण सक्सेना, सदस्य, विधान परिषद् .. .. सभापति

2—श्री जगन्नाथ शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् .. .. सदस्य

3—श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् .. .. „

सचिवालय के पदाधिकारी

1—श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, सचिव, विधान मण्डल,

2—श्री परमात्मा शरण पचौरी, सचिव, विधान परिषद्,

3—श्री शांति स्वरूप अग्रवाल, समिति अधिकारी, विधान परिषद् ।

मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों के सम्बध में विधान परिषद् की समिति का प्रतिवेदन।

इस समिति का निर्माण दिनांक 12 अप्रैल, 1971, को माननीय सभापति द्वारा विधान परिषद् की नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत किया गया, जिसके निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये —

(1) श्री गोपाल नारायण सक्सेना (सभापति),

(2) श्री जगन्नाथ शर्मा,

(3) श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल।

समिति के निर्माण की आवश्यकता 30 मार्च, 1971 की बैठक में मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न संख्या 17 के सम्बन्ध में दिये गये मूल उत्तर व उस पर पूछ गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के असन्तोषजनक होने के कारण प्रतीत हुई। प्रश्न व उसका उत्तर अनुपूरक प्रश्नोत्तर सहित, नत्थी 'क' में दिया हुआ है।

आरम्भ में इस समिति का कार्यकाल दो माह का निश्चित किया गया था किन्तु समिति को अपनी छानबीन करने में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालयों से पड़ी, जिनकी सूचना समय पर न आने के कारण इस समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1971, तक माननीय सभापति द्वारा बढ़ा दिया गया है। समिति के समक्ष मूलतः निम्नलिखित प्रश्न थे—

(1) मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, जो 5 जनवरी, 1966 को लागू किया गया था, का समिति की नियुक्ति के समय तक पूर्ण रूप से अनुपालन क्यों नहीं किया जा सका ?

(2) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके अनेकों कठिनाइयों को दूर करने के आदेश दिये जाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(3) अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों की मेज पर 14 दिन तक क्यों नहीं रखा गया ?

(4) उक्त परिनियमों को किस कारण से मूल अधिनियम का भाग अध्यादेश द्वारा बनाया जाना आवश्यक हुआ ?

(5) मूल अधिनियम को अध्यादेशों द्वारा कई बार संशोधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

समिति ने अपनी निम्नलिखित बैठकें कीं—

समिति की तिथि	स्थान		साक्ष्य हेतु अधिकारी एवं सदस्य
1—26-4-71	लखनऊ	..	..
2—27-4-71	लखनऊ	..	..
3—5-5-71	लखनऊ	..	श्री रवि शंकर जौहरी शिक्षा सचिव तथा श्री शुकदेव पन्त, दिनांक 5 मई, 1971 की बैठक में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए ?
4—7-5-71	लखनऊ	..	..
5—13-5-71	लखनऊ	..	श्री हृदय नारायण सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, दिनांक 13 मई, 1971 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए।
6—26-5-71	लखनऊ	..	..
7—2-6-71	लखनऊ		..
8—3-6-71	लखनऊ	..	श्री रवि शंकर जौहरी, शिक्षा सचिव, श्री शुकदेव पन्त, उप सचिव शिक्षा, श्री के0 एन गोयल, ज्वाइंट एल0 आर0, श्री सुरेन्द्र वीर विक्रम सिंह, रजिस्ट्रार कानपुर विश्वविद्यालय दिनांक 3 जून, 71 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए।
9—26-6-71	लखनऊ	..	श्री शुकदेव पन्त उप शिक्षा सचिव दिनांक, 26 जून, 1971 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए।
10—28-6-71	लखनऊ	..	..
11—5-7-71	लखनऊ	..	..
12—27-9-71	लखनऊ	..	..
13—28-9-71	लखनऊ	..	..

1—यद्यपि मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, 5 जनवरी, 1966 से प्रभावी किया गया था तब भी आज तक मूल अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न की जाकर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के आदेशों व अधिनियम में अध्यादेशों द्वारा संशोधन करके इसको इन विश्वविद्यालय को उस रीति से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है जो कि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित थी। इस पूरे अधिनियम को भी जनवरी, 1966, से प्रभावी नहीं किया गया था। इसकी धारा 4 की उपधारा (4) व (5) को, जो मूल अधिनियम में एक संशोधन अधिनियम (संख्या 31, 1966 का) द्वारा जोड़ी गई थी, 23 जनवरी, 1967, से लागू किया गया। इससे पूर्व एक अध्यादेश (संख्या 8, 1966) के द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आगरा विश्वविद्यालय के परिनियमों को सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के सहित लागू किये जाने का प्राविधान किया गया। ऐसी इसी कारण किया गया कि इन विश्वविद्यालयों के लिए अलग से परिनियम बनाने का कार्य सरकार द्वारा समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मूल अधिनियम में प्रारम्भ में केवल 50 ही धारायें थे। उनमें नई धारायें 51 व 52, 1966 के उक्त अध्यादेश द्वारा इस आशय से जोड़ी गई कि सरकार को इन विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बनाये गये नियमों, परिनियमों व अध्यादेशों में इन विश्वविद्यालयों में लागू करने से पूर्व परिवर्तन करने का अधिकार रहे। मूल अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कानपुर व मेरठ विश्वविद्यालयों की स्थापना 5 जनवरी, 1966, को की गई। इससे प्रतीत होता है कि अधिनियम को पारित करने से पहले इन सब कठिनाइयों पर विचार नहीं किया गया था। जो इस अधिनियम को लागू करने में शासन को होनी स्वाभाविक थी। जब समिति ने इसका कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने इसका उत्तर यही दिया कि इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का आदेश और अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता उस समय भी पड़ी थी जब कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया जाना था। यद्यपि गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण विभाग की राय में कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय को विधिपूर्वक स्थापित न करने का एक कारण हो सकता है किन्तु समिति की राय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के उदाहरण के विभाग के समक्ष होने के कारण विभाग को इस उदाहरण से शिक्षा लेनी अनिवार्य थी ताकि उसी प्रकार की समस्यायें व कठिनाइयां इन दो विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में उत्पन्न न हों। समिति की राय में गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण होते हुए भी विभाग ने दोनों विश्वविद्यालयों के अधिनियम के सम्बन्ध में उस सतर्कता से काम नहीं लिया जो उससे अपेक्षित थी और जो भी देरी मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने में हुई है वह अक्षम्य है।

२—इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभाग को निम्नलिखित कठिनाई दूर करने के आदेश व अध्यादेशों का सहारा लेना पड़ा, जिनके प्रवृत्त किये जाने के मूल आशय उनके समक्ष लिख दिये गए हैं—

आदेश का नाम	आवश्यकता
(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६६।	(कुलपति को उप-कुलपति व रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करना।
(२) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना), आदेश, १९६७ (आदेश दिनांक १० मार्च, १९६७।)	इसके द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद् के गठन किये जाने का प्राविधान किया गया जब तक कि वह मूल अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार गठित नहीं हो जाती।
(३) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना), (द्वितीय) आदेश, १९६७ (आदेश दिनांक १७ मई, १९६७)	इसके द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को एकेडेमिक काउन्सिल, फाइनेन्स कमेटी, बोर्ड आफ फैकल्टी तथा विश्वविद्यालय की चयन समिति के कार्य सौंपे गए।
(४) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७ (आदेश दिनांक १५ जुलाई, १९६७)	इसके द्वारा कार्यकारिणी परिषद् पर नामांकित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या १५ से बढ़ाकर १९ की गई।

(५) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७ (आदेश दिनांक ८ दिसम्बर, १९६७)	इस आदेश द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को कोर्ट के कुछ अधिकार प्रदान किये गये ताकि विद्यालय के कार्य संचालन में बाधा न पड़े।
(६) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६८ (आदेश दिनांक ७ मई, १९६८)	इस आदेश द्वारा इस सूची के क्रमांक २ पर उल्लिखित १७ मई, १९६७, के आदेश की अवधि को १२ महीने से बढ़ाकर २४ महीने कर दिया था क्योंकि एथॉरिटी नहीं बन सकी थी।
(७) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६८ (दिनांक ३१ दिसम्बर १९६८)	इस आदेश द्वारा इस सूची के क्रमांक के २ पर उल्लिखित १७ मई, १९६७ के आदेश की अवधि पुनः २४ महीने से बढ़ाकर ३६ महीने की गई जो १७ मई, १९७० को समाप्त हो गई थी।
(८) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६८ (आदेश दिनांक ३१, दिसम्बर, १९६८)	इसके द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के कुछ प्राविधानों में विश्वविद्यालय से प्राप्त सुझावों पर संशोधन किये गये थे।

इन आदेशों व अध्यादेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ख' व 'ग' के रूप में संलग्न हैं।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम ५ जनवरी, १९६६ से प्रभावी किया गया उसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियम २८ सितम्बर, १९६८ से पूर्व बनाये व लागू नहीं किये जा सके। साधारणतः किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित परिनियम उसी दिन बनाये जाकर लागू हो जाने चाहिये जिस दिन से उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अधिनियम लागू हों और जिस दिन से उस अधिनियम के अन्तर्गत उन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाय, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय के विधिपूर्वक गठन व दैनिक कार्य के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस सम्बन्ध में परिनियम स्थित हों। समिति की राय में परिनियमों के अभाव में ही विभाग को एक अन्य (आगरा विश्वविद्यालय) के परिनियमों को संशोधित करके इन विश्वविद्यालयों के लिए लागू करना और उन परिनियमों द्वारा उत्पादन कठिनाइयों को दूर करने के आदेशों द्वारा इन विश्वविद्यालयों के प्राधिकारणों व उसकी संस्थाओं, जैसे कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद्, विद्युत् परिषद्, इत्यादि का गठन व उनके कार्य संचालन को, कठिनाइयों को दूर करने के आदेशों व अध्यादेशों द्वारा संचालित करना पड़ा। विभाग ने जो कारण परिनियमों के बनाये जाने से सम्बन्धित देरी के दिये हैं, वे विभाग की ही भाषा में इस प्रकार हैं।

विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों का आलेख्य विभाग द्वारा अगस्त, १९६५ में ही तैयार कर लिया गया था और शिक्षा मन्त्री जी को प्रस्तुत भी किया गया था। जैसा कि शिक्षा मन्त्री ने चाहा था इनके विषय में अनेक शिक्षा विदों से परामर्श किया गया था। उनके जो सुझाव आये थे उनका परीक्षण किया गया था तथा शिक्षा मन्त्री जी के आदेश थे, प्रस्तुत किया गया था उसके उपरान्त शिक्षा मन्त्री जी ने दोनों विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों से भी परामर्श करने की इच्छा प्रकट की थी। दोनों विश्वविद्यालयों के प्रथम उपकुलपति। जून, १९६६, को नियुक्त किये गये थे। उनके सुझाव जून, १९६७, तक प्राप्त हुए थे। उसके उपरान्त राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अधिनियमों तथा परिनियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने पर विचार कर रही थी और कुछ प्रस्ताव बनाये भी गए थे। इन प्रस्तावों का प्रभाव इन दो विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली पर भी

अवश्य पड़ता, अतः यह सोचा गया कि इन संशोधनों के प्रस्तावों पर निर्णय हो जाने के बाद ही इन परिनियमों को जारी करना उचित होगा कि किन्तु उक्त प्रस्तावों पर निर्णय होने से पूर्व ही संविद सरकार हट गई किन्तु विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधनों की विचारधारा बनी रही। इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव थे उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा उप कुलपतियों से मई, १९६८, में विचार विमर्श किया गया था। तथा एडवाइजरी कौंसिल ने जून, १९६८, में उक्त संशोधनों को स्वीकार किया था। उन संशोधनों के आधार पर प्रथम परिनियमों के आलेख्य में पुनः संशोधन किया गया था जिन पर अगस्त, १९६८ में राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की थी। उसके उपरान्त विधायिका विभाग तथा भाषा विभाग द्वारा २१ सितम्बर, १९६८ पत्रावली प्राप्त होने पर नियमावली २८ सितम्बर, १९६८ को प्रकाशित की गई थी। समिति विभाग द्वारा दिए गये कारणों से सन्तुष्ट नहीं है।

उदाहरणार्थ विभाग द्वारा दिया गया यह कारण कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के अधिनियमों तथा परिनियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने पर विचार कर रही थी, समिति की राय में असन्तोषजनक है क्योंकि यदि अन्य विश्वविद्यालय बिना इन महत्वपूर्ण संशोधनों के कार्य करते रह सकते थे तो इन विश्वविद्यालयों के कार्यों को उन महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए अनुचित ढंग से चलाया जाना अनावश्यक था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो महत्वपूर्ण ये संशोधन १९६७ में विचाराधीन थे और यदि वे संशोधन वास्तव में महत्वपूर्ण थे तो उनको अभी तक सदन के समक्ष क्यों नहीं लाया गया और क्यों उन महत्वपूर्ण संशोधनों के बिना अब तक सभी विश्वविद्यालयों को कार्य करने दिया। उन संशोधनों का अभी तक विधेयकों के रूप में सदन के समक्ष न लिये जाने का एक यही अर्थ हो सकता है कि वह संशोधन इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जिनके बिना विश्वविद्यालयों का संचालन न हो सके। अन्य कारण जो विभाग द्वारा दिये गये हैं, वह देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अनिश्चिन्तता व कार्य को शीघ्र करने में शिथिलता से ही उत्पन्न हुए थे वरन् अन्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों के आधार पर प्रथम परिनियम बनाये जा सकते थे और उसके पश्चात् इसके अनुसार विश्वविद्यालय स्वयं उन परिनियमों में यथानुसार संशोधन कर सकते थे।

3—इस सन्दर्भ में यह प्रश्न सदन में भी उठाया गया था कि क्योंकि अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत बनाये गये प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों की मेज पर 14 दिन तक नहीं रखा गया इस कारण यह परिनियम प्रभावी नहीं हो सकते। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि परिनियम बनाये जाने के कितने समय बाद यह परिनियम सदनों की मेज पर रखे जायेंगे, यह अधिनियम द्वारा निश्चित नहीं किया गया यद्यपि यह इस धारा में निहित है कि बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे परिनियम सदन की मेज पर रखे जायेंगे। विभाग के कथनानुसार जिस समय यह परिनियम विज्ञापित किये गये थे, उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था और विधान मण्डल के सदन उस समय निलम्बित थे। इस कारण यह परिनियम संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के पटल पर 14 दिन तक रख दिए गये थे और इस प्रकार इन परिनियमों के इस प्रदेश के विधान मण्डल के सदनों की मेज पर रखे जाने की वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो गई थी। सदन में 30 मार्च, 1971, को प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या यह परिनियम संसद के उस सलाहकार समिति के समक्ष भी रखे गये थे नहीं जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने विधायन के सम्बन्ध में सलाह लेने के लिए एक संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की थी। समिति की राय में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) (ख) के अनुसार उस समय उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विधायन की सारी शक्तियां संसद में निहित थीं। संसद ने यह विधायन शक्तियां राष्ट्रपति में एक अधिनियम द्वारा निहित कर दी थीं किन्तु उसी अधिनियम के द्वारा एक प्रतिबन्ध यह लगा दिया था कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग एक संसद

की सलाहकार समिति के परामर्श पर करेंगे। संसद को ऐसा करने का अधिकार अनुच्छेद 356(1) के भाग (ख) के अन्तर्गत दिया गया है क्योंकि इस प्राविधान के अनुसार संसद या तो स्वयं किसी राज्य की विधायन शक्तियों को अपने में निहित कर सकती थी या अपने द्वारा किसी अन्य व्यक्ति में। उस समय यह शक्ति संसद ने एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति में निहित कर दी थी।

समिति ने उस अधिनियम को देखा, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों की एक सलाहकार समिति के परामर्श पर उत्तर प्रदेश के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। उस अधिनियम द्वारा संसद ने केवल विधायन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की थी और केवल विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग किये जाने से पहले परामर्श के लिए यह संसद सदस्यों की समिति बनाये जाने का प्राविधान किया था। उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के अन्य कृत्य जिनमें की उनको अपने समक्ष किसी प्रकार के प्रतिनिहित विधायन को रखवाने का अधिकार था, संसद में ही निहित थे और संसद के समक्ष 14 दिन तक इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों का रखा जाना इस अधिनियम की धारा 31 के उपबन्धों का विधिवत् पालन था। इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति उत्पन्न नहीं होती।

4—इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों की वैधानिकता पर न्यायालयों में चुनौती निम्नलिखित याचिकाओं द्वारा दी गई और उनमें से कुछ याचिकाओं के ऊपर न्यायालयों ने 'स्टे आर्डर' जारी कर दिये गये। ये याचिकायें उनके समक्ष दी गई तिथियों को अस्वीकार कर दी गई—

याचिका	अस्वीकार होने की तिथि
(1) 105/1969, जगन्नाथ शर्मा, प्रेसीडेंट तथा लाइफ मेम्बर, म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मंसूरी बनाम मेरठ विश्वविद्यालय	6-11-70
(2) 4360/1970, दामोदर स्वरूप, सेक्रेटरी मेरठ यूनिवर्सिटी कालिज मैनेजमेंट एसोसिएशन तथा अन्य बनाम (1) उत्तर प्रदेश सरकार, (2) मेरठ विश्वविद्यालय।	5-4-71
(3) 1647/69, बी० पी० गर्ग, सेक्रेटरी, दुर्गा प्रसाद डिग्री कालेज, अनूपशहर (बुलन्दशहर) बनाम (1) उत्तर प्रदेश सरकार, (2) मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	5—4—71
4—155/69, डी० ए० वी० कालेज ट्रस्ट तथा मेनेजमेंट सोसाइटी, यू० पी०, कानपुर बनाम मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ तथा अन्य।	21—5—71
5—443/1970, रूप किशोर, रीडर भौतिक विज्ञान, मेरठ कालेज, मेरठ बनाम मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ।	इसके बाद में न्यायालय द्वारा कोई स्टे आर्डर नहीं दिया गया था किन्तु वाद अभी पेंडिंग है।

इस याचिकाओं में निम्नलिखित मूलआधारों पर परिनियमों की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी :—

(क) यह परिनियम विधान मण्डल के सदनों के समक्ष नहीं रखे गये।

(ख) परिनियमों में विश्वविद्यालयों को दी गई ऐसी शक्ति, जिसके अनुसार वह विभिन्न महाविद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सके, मूल अधिनियम द्वारा, प्रदत्त शक्तियों के बाहर है।

(ग) परिनियमों द्वारा महाविद्यालयों के प्रतिबन्धाधिकरणों की महाविद्यालयों के अध्यापकों व कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति पर प्रतिबन्ध मूल अधिनियम की परिधि के बाहर है।

(घ) परिनियमों में किसी महाविद्यालय को प्रतिबन्ध योजना में परिवर्तन करने की शक्ति मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्ति के बाहर है।

(ङ) महाविद्यालयों पर अन्य प्रकार के कई प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियां जो परिनियमों में दी गई है, मूल अधिनियम की परिधि के बाहर है।

(च) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रतिबन्धाधिकरण पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति का प्राविधान जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया गया है, मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है।

इससे विदित होता है कि इन याचिकाओं द्वारा इन परिनियमों को चुनौती दो मूल आधारों पर दी गई थी :—

(1) परिनियमों का उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदनों की मेज पर 14 दिनों तक न रखा जाना, तथा

(2) परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की कुछ शक्तियों का निहित किया जाना, जो मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर थी।

समिति की सूचनानुसार न्यायालयों द्वारा दिये गये स्टे आर्डर्स को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों अथवा सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे प्रतीत होता है कि सरकार ने वास्तव में परिनियमों के द्वारा मूल अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण किया था और इसी कारण परिनियमों को अधिनियम का भाग बनाने का यानी अपनाया जाना आवश्यक समझा गया।

जहां तक पहली आपत्ति का सम्बन्ध है, किसी ऐसे प्रतिनिहित विधायन को, जिसके लागू किये जाने के पश्चात् सदन की मेज पर रखा जाना अनिवार्य हो, सदन की मेज पर न रखा जाना उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अवैधानिक नहीं बना देता। इस प्रकार के निर्णय न केवल यूनाइटेड किंगडम में हो चुके हैं वरन् भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय दिया है :—

"Finally, the validity of the rules framed under the Bombay Act 22 of 1939 was convassed. By S. 26(1) of the Bombay Act the State Government was authorised to make rules for the purpose of carrying out the provisions of the Act. It was provided by Sub-s. (5) that the rules made under s. 26 shall be laid before each of the Houses of the provincial Legislature, at the session thereof next following and shall be liable to be modified or rescinded by a resolution is which both Houses concur and such rules shall, after notification in the official *Gazette*, be deemed to have been modified or rescinded accordingly. It was URGED BY THE PETITIONER THAT THE RULES FRAMED under the Bombay Act 22 of 1939 were not placed before the Legislative Assembly or the Legislative Council at the first session and therefore they had no legal validity. The rules Under Act 22 of 1939 were framed by the Provincial Government of Bombay in 1941. At that time there was no Legislature in session, the Legislature having been suspended during the emergency arising out of World War II. The session of the Bombay Legislative Assembly was convened for the first time after 1941 on May 20,

1946 and that session was prorogued on May 24, 1946. The second session of the Bombay Legislative Assembly was convened on July 15, 1946 and that of the Bombay Legislative Council on September 3, 1946 and the rules were placed on the Assembly table in the second session before the Legislative Assembly on September 2, 1946 and before the Legislative Council on September 13, 1946. Section 26(5) of Bombay Act 22 of 1939 does not prescribe that the rules acquired validity only from the date on which they were placed before the House of Legislature. The rules are valid from the date on which they were made under S. 26(1). It is true that the Legislature has prescribed that the rules shall be placed before the Houses of Legislature, but failure to place the rules before the Horses of Legislature does not affect the validity of the rules, merely because they have not been placed before the Houses of the Legislature. Granting that the provisions of sub-s. (3) of s. 26 by reason of the failure to place the rules before the Houses of Legislature were violated, we are of the view that sub-s. (5) of s. 26 having regard to the purposes for which it is made, and in the context in which it occurs, cannot be regarded as mandatory. The rules have been in operation since the year 1941 and by virtue of s. 64 of the Gujarat Act 20 of 1964 they continue to remain in operation.

—(Jan Mohn. *vs.* State of Gujarat, AIR 1966 SC 385 at pp. 394-95)

जहाँ तक दूसरी आपत्ति का सम्बन्ध है, जब न्यायालय द्वारा "स्टे आर्डर" दे दिये गये तो सरकार ने अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 10, 1970 व अध्यादेश संख्या 2, 1971) द्वारा इन परिनियमों को मूल अधिनियम का भाग बना दिया और इस अध्यादेश को विधान मण्डल ने एक अधिनियम (अधिनियम संख्या 1971 का) द्वारा अधिनियमित कर दिया। इस प्रकार इन परिनियमों के सम्बन्ध में जो भी ऐसी संवैधानिक आपत्ति की जा सकती थी कि उनके प्राविधान मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बाहर से, दूर हो गई है। किसी प्रतिनिहित विधायन को मूल विधायन का भाग बनाने की एक मान्य प्रथा है जो कि यूनाइटेड किंगडम में भी प्रचलित है। इस सन्दर्भ में सा सी० के० एलेन ने अपनी पुस्तक "ला एण्ड आर्डर" के पृष्ठ 258–59 पर कहा है :—

"No form of delegation has caused more difficulty, not to say confusion, than the provision that Instruments made under the enabling section" shall have effects if enacted in this Act. "The formula has had a number of variants, all apparently with the object of making the Instrument inviolable. Thus it appears in the form' 'as if it were enacted by Parliament' ; or "shall be binding on all persons whatsoever;" and it has often been extended to orders, etc. purporting to be made under the act one variant, which is to be found in certain order statute, but not, so far as I know, in modern Acts, seems expressely designed to exclude any question of ultra vires ; it takes the form 'shall be deemed to be within the powers conferred by this Act'. The standard formula, however, erstwhile particularly associated with the confirmation of Provincial Orders, has been "as if enacted in this Act".

Until comparatively recently, nobody had traced the origin of this controverted expression. In the principal case, Institute of Patents Agents *vs.* Lockwood, (1894) A.C. 347, Lord Herschell L. C. assumed that it was of recent origin. Sir William Graham Harrison has shown that it is, on the contrary, very ancient, in one form or another it is as old as the statute of the staple of 1388 and it rapeatedly occurs in enactment throughout the nineteenth century.

इस प्रकार के प्राविधान की वैधानिकता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वाद में कहा है :—

> Coming to the second submission it is not correct to say that Rule 56 is now partly an act of the Legislature and partly a rule. It is still a rule though parts of that they have been introduced by means of a legislative enactment of the U. P. Legislature. The State Government was only a delegatee of the U. P. Legislature and the source of its power is the power of the Legislature. What the delegatee can do a delegator can also do specially when the delegator the U. P. Legislature, has been conferred very wide powers of Legislation under Article 245 of the constitution. Nothing has been shown to us to justify the conclusion that a rule cannot be amended by a legislative enactment.
> (Eqbal Narayan *vs.* State, AIR 1971 Allahabad 178 at p. 183).

इस प्रकार जहां तक इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों की वैधानिकता का प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती—

(5) समिति ने ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि इन अध्यादेशों की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूलतः यह अध्यादेश उन कठिनाइयों को दूर करने के आदेश जो कि समय पर परिनियम न बनाये जाने व उनमें कार्यान्वित किये जाने से उत्पन्न हुये, कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रख्यापित किये गये थे वह परिनियमों को अधिनियम का भाग बनाने व उनमें किये गये संशोधनों को वैधानिकता देने के लिये और समय पर इन विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं को सरकारी आदेशों द्वारा गठित किये जाने के कृत्यों को वैधानिक बनाने के लिये जारी किये गये। किन्तु क्योंकि यह सभी अध्यादेश विधान मण्डल द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। इनका उत्तरदायित्व विधान मण्डल का भी उतना ही है जितना कि सरकार का। यह बात अवश्य है कि अकर्मण्यता से उत्पन्न हुई परिस्थिति में विधान मण्डल को इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था कि जिस भी रूप में से यह दोनों विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, उसही रूप से इनको कार्य करने दिया जाय जिससे कि इनका कार्य पूर्णतः समाप्त न हो जाय।

जैसा कि समिति ने ऊपर उल्लेख किया है कि इन दोनों विश्वविद्यायों के सम्बन्ध में अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों में कुछ इस प्रकार के प्राविधान हैं जो या तो मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर हैं अथवा जो अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम या परिनियमों में नहीं पाया जाता है। समिति इस बात की छानबीन तो नहीं कर पायी है कि जो उपबन्ध सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में किये जाने के लिये सरकार के विचाराधीन थे और जिनके विचाराधीन रहने के कारण इन दोनों विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित परिनियम समय पर नहीं बनाये जा सके अथवा जिनके कारण कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये आदेश या अध्यादेश प्रसारित किये गये तब भी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा परिनियमों में प्रतिबन्ध करके कुछ इस प्रकार का प्राविधान करने का प्रयत्न किया गया है जो इन विश्वविद्यालयों में किये जाने के लिये विचाराधीन था। इस प्रकार कुछ असाधारण प्रतिबन्ध नीचे दिये गये हैं :—

धारा—4—

मूल अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार कुछ जिलों में स्थित महाविद्यालयों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया है और कुछ अन्य जिलों में स्थित महाविद्यालयों को मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि धारा 2 में सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्ध कारिणी की परिभाषा में आने वाले सभी सम्बद्ध कालेज इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो गये हैं और इनकी प्रबन्ध कारिणी विधि के अनुसार इन कालेजों की प्रबन्ध कारिणी मान ली गई।

जैसा ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मूल अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उसमें उल्लिखित जिलों में स्थित अनेकों कालेजों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध मान लिया गया है किन्तु परिनियम 7.01 में नये विषयों में सम्बद्धता ग्रहण करने के लिये अनेकों नये प्रकार की धर्मस्व निधियों की शर्तें लगा दी गई है, जिसका परिणाम यह है कि कोई सम्बद्ध कालेज अन्यथा नये विषयों में सम्बद्ध होने के लिये सामार्थ्य रखता भी हो यदि वह प्रथक धमर्स्व निधि अथवा सावधि जमा की हुई धनराशि उपलब्ध नहीं कर सकता है तो वह उक्त विषयों में सम्बद्धता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार की कोई शर्तें किसी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं है और ऐसे प्रतिबन्धों का परिणाम यही होगा कि अन्यथा अर्ह सम्बद्ध कालेज को इस शर्त को पूरा किये बिना शिक्षा की सुविधा पूर्ण करने में कठिनाई होगी।

धारा—5—

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) में यह प्राविधान है कि परिनियमों में निर्धारित रूप और शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय सम्मान सूचक उपाधियों तथा अन्य विशिष्टतायें प्रदान कर सकता है। समिति की राय में शब्द शर्तों का अथ यहां केवल किसी व्यक्ति की विशेष अर्हताओं से है न कि उनके उस विश्वविद्यालय में किसी पद धारण स। क्योंकि धारा 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अर्ह व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण का सदस्य बनने का अधिकारी है। किन्तु परिनियम 8.01 के अनुसार एक प्रतिबन्ध इस प्रकार का लगा दिया गया है कि सम्मानार्थ उपाधि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जायेगी जो कोर्ट या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो। इस प्रकार का प्राविधान किसी अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नहीं है और यह प्राविधान मूल अधिनियम के आशयों के प्रतिकूल है। वरन् इसका अभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो किसी इस प्रकार के सम्मानार्थ उपाधि के लिये अर्ह है, विश्वविद्यालय की किसी संस्था, किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न बन सक। एसे अन्य उदाहरण है जहां विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों ने, जो उसके प्राधिकरण अथवा निकाय के सदस्य रहते हुये, विश्वविद्यालय की विशिष्ट सेवा की है, उन्हें सम्मानार्थ उपाधियां दी गई ह।

धारा—15—

मूल अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत वर्ग 5 द्वारा निबद्ध स्नातकों की कोई श्रेणी नहीं बनाई गई है और यदि विधान मण्डल का ऐसा विचार होता कि स्नातकों को भी कुछ अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जाय तो इस प्रकार का प्राविधान इस धारा में कर दिया गया होता। किन्तु परिनियमों के परिनियम संख्या 5.03 के अनुसार निबद्ध स्नातकों को भी चार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार का प्रतिबन्ध किया गया है कि यदि किसी तरह की श्रेणी में कोई भी स्नातक न हो तो उस श्रेणी के स्नातकों के प्रतिनिधियों के स्थान पर सामान्य स्नातकों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। इस प्रकार का प्राविधान विधान मण्डल के आशय के सर्वथा प्रतिकूल है।

इस प्रकार इसी धारा के वर्ग 7 के अनुसार विश्वविद्यालयों के कोर्ट में प्रतिनिधित्व के लिये वर्ग 7 के खण्ड 3 में केवल सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में प्राविधान है। "सम्बद्ध कालेज" और "प्रबन्धकारिणी की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट रूप से दे दी गई है जिसके अनुसार प्रत्येक सम्बद्ध कालेज एक इकाई माना गया है और प्रबन्धकारिणी भी प्रत्येक सम्बद्ध कालेज के सम्बन्ध में एक अलग इकाई मानी गई है। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार यदि प्रबन्धकारिणी या किसी संस्था के अन्तर्गत एक से अधिक सम्बद्ध कालेज है और उन सभी सम्बद्ध कालेजों को प्रथक प्रबन्धकारिणी समितियां हैं तो अधिनियम के अनुसार वे भिन्न-भिन्न इकाई होंगी। किन्तु परिनियम 5.04 के उप परिनियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में एक नया विधान इस प्रकार का बनाया गया है कि जब दो या उससे अधिक सम्बद्ध कालेज एक ही ट्रस्ट या प्रबन्धकारिणी के प्रशासन के अन्तर्गत हों तो ट्रस्ट या

प्रबन्धकारिणी का प्रेसीडेन्ट ऐसे सभी कालेजों का प्रतिनिधित्व करेगा और उसका केवल एक मत होगा। इस प्रकार का प्राविधान केवल एक अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है और अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधि में इस प्रकार का प्राविधान नहीं है। यह प्राविधान न केवल मूल अधिनियम के प्रतिकूल है वरन् जो अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियां हैं उनके सिद्धान्तों के भी विरुद्ध हैं।

धारा—26—

अधिनियम की धारा 26 (1) के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों को उक्त प्रबन्धकारिणी द्वारा नियत रीति से नियुक्त किया जायेगा। इस उपबन्ध के अनुसार परिनियमों के द्वारा केवल नियुक्ति की रीति के सम्बन्ध में प्राविधान किया जा सकता है न कि प्रबन्धकारिणी के अधिकारों के सम्बन्ध में। किन्तु परिनियम 6.05 के खण्ड के अनुसार यद्यपि इस सिद्धान्त को माना गया है कि सम्बद्ध कालेजों के सभी अध्यापकों की नियुक्तियां सम्बन्धित प्रबन्धकारिणयों द्वारा संगठित चयनसमिति की सिफारिशों पर की जायेंगी तो भी खण्ड 9 के अनुसार चयन समिति पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि तब तक कोई सिफारिश नहीं की जायेगी जबतक उपकुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति सिफारिश से सहमत न हो। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रबन्धकारिणी के अधिकार उप कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होंगे। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक दशा में सिफारिश करने वाली संस्था को सिफारिश करना अनिवार्य है और उसको मानने या न मानने का अधिकार नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को है जो इस सम्बन्ध में प्रबन्धकारिणी समिति है। इस प्रकार का परिनियम किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज में नियुक्तियों के सम्बन्ध में नहीं है और यह नये प्रकार का प्रतिबन्ध प्रबन्धकारिणी की शक्तियों पर परिनियमों द्वारा लगाया गया है।

धारा 38—

अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये किसी संबद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति को कालेजों के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियंत्रण करने की स्वतंत्रता होगी और उसके संधारण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगी। इस उपबन्ध का स्पष्टतः यह अर्थ है कि प्रबन्धकारिणी पर किसी प्रकार का अन्य प्रतिबन्ध यदि इस अधिनियम में नहीं लगाया गया है तो किसी अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध उसके अधिकारों पर नहीं हो सकते हैं। किन्तु परिनियम 7.34 के अनुसार इस प्रकार का नया प्रतिबन्ध सभी सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी समितियों पर लगाया गया है कि उनकी सहायता के लिये न केवल एक वित्त समिति होगी वरन् उस वित्त समिति में परिनियम में दिये गये सदस्य अवश्य होंगे और कालेजों के वार्षिक आय-व्ययक और अन्य प्रकार के आय-व्ययक के सम्बन्ध में वित्त समिति को परिनियम 7.35 से लेकर परिनियम 7.40 तक अधिकार होंगे। यह परिनियम मूल अधिनियम के प्राविधानों के अत्यन्त विरुद्ध है क्योंकि जब अधिनियम कहता है कि प्रबन्धकारिणी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध केवल अधिनियम द्वारा ही लगाया जा सकता है तब यह नया प्रतिबन्ध एक परिनियम द्वारा लगाया जाना अवैधानिक है।

कुछ अन्य परिनियमों में भी मूल अधिनियम का अतिक्रमण किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध इस अधिनयम में ही किया जा सकता है किन्तु परिनियम संख्या 7.03 (ख) के द्वारा सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी के संगठन पर पूरा अधिकार उप कुलपति को दे दिया गया है और उसके संगठन के सम्बद्ध में विस्तृत उपबन्ध कर दिये गये हैं। प्रबन्धकारिणी का विधान संगठित इतना व्यापक है जिससे कि उसमें अभिरुचि लेने वाले विभिन्न वर्ग के ऐसे सदस्य सम्मिलित हो सकें जिनमें कालेज सम्बन्धी कार्यों में भी परिष्कृत रूप से अभिरुचि लेने का विश्वास किया जा सके। यह ऐसा प्रतिबन्ध है जो इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत किसी

प्रबन्धकारिणी के गठन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी में कालेज के प्रिन्सिपल, ज्येष्ठतम अध्यापक और कार्यकारिणी परिषद्, द्वारा नामजद दो व्यक्तियों के सम्मिलित किये जाने के प्रतिबन्ध है इसी प्रकार (ञ), (च), (छ), (ज), (झ) इत्यादि खण्डों में ऐसे प्रतिबन्ध किये गये हैं कि किसी कार्यकारिणी परिषद् के संगठन में किसी भी आधार पर हस्तक्षेप विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। समिति की राय में इस प्रकार का प्राविधान अधिनियम द्वारा ही किया जाना चाहिये। यद्यपि समिति यह समझती है कि जब इस प्रकार का प्राविधान और किसी अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नहीं है तो केवल कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्राविधान करना सर्वथा अनुचित है।

अधिनियम संख्या ३१, सन् १९६६

मूल अधिनियम में एक नई धारा 52, सन् 1966 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है जो इस प्रकार है :—

धारा-52—

52—किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन नियमित किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों को, जो किसी कालेज या संस्था में, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण बाद में, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर लिया जाय अथवा सम्बद्ध समझा जाय, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने अथवा शोध कार्य करने के पश्चात् कोई डिग्री ले चुके हों अथवा तदपश्चात् लें, ऐसी डिग्री के आधार पर यह विकल्प होगा कि वे ऐसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार या तो अपने मूल विश्वविद्यालय के अथवा, यथास्थिति कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के, किन्तु दोनों के नहीं, बानबद्ध स्नातक हो जायें अथवा बने रहें और सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के परनियमों में भी उन निबद्ध स्नातकों के निबन्धन को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप से निबन्धन करा लेने के बाद कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातक होन के लिये उपर्युक्त के अनुसार विकल्प करते हैं।

स्नातकों के संबंध में विकल्प।

(2) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926, में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो आगरा यूनिवर्सिटी के निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में उक्त यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो या रहा हो उस दिनांक से, जब वह उपधारा (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग करने परिणाम-स्वरूप उक्त यूनिवर्सिटी का निबद्धस्नातक न रह जाय, ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा ऐसा सदस्य न रहा समझा जायगा।

इस धारा के अनुसार कोई भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति जो किसी ऐसे विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक था जिसका कोई महाविद्यालय अब मेरठ या कानपुर विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो गया है, केवल एक ही विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातक हो सकता है और इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे उन विश्वविद्यालयों के परिनियमों में की जानी आवश्यक है कि कोई भी स्नातक यदि वह मेरठ या कानपुर विश्वविद्यालयों में अपने को पंजीकृत करा लेता है तो मूल पंजीकृत विश्वविद्यालय का स्नातक नहीं रह सकता है। यह प्रतिबन्ध इन दो विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में बिल्कुल नया है क्योंकि अभी तक प्रथा यह है कि कोई भी स्नातक एक विश्वविद्यालय में स्नातक रूप में अपने आप को पंजीकृत कर सकता है और स्नातकोत्तर की उपाधियाँ अन्य विश्वविद्यालयों से ले कर उन विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हो सकता है। इस प्रकार उसको एक से अधिक विश्वविद्यालयों में पंजीकृत स्नातक के रूप में रहने का अधिकार है। केवल मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालयों में पंजीकृत होने वाले स्नातकों पर इस बात का प्रतिबन्ध लगा रहना इस समय प्रचलित स्नातकों के अधिकारों का अपहरण है।

यद्यपि परिनियमों का अधिनियम का भाग बन जाने के पश्चात् उन सभी विशिष्ठ प्राविधानों का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा विधान मण्डल के ऊपर है फिर भी जैसा कि समिति ऊपर उल्लेख कर चुकी है, जिन परिस्थितियों में अधिनियमों के रूप में ये सभी प्राविधान विधान मण्डल के सामने लाये गये हैं उन परिस्थितियों में विधान मण्डल के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि वे इन विश्वविद्यालयों को कार्य करते रहने के लिये उन प्राविधानों को भी स्वीकार कर दें। किन्तु समिति की राय में यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित उपर्युक्त प्राविधानों और किसी अन्य प्राविधानों में संशोधन करे जिससे इन विश्वविद्यालयों का गठन और उनसे सम्बद्ध कालेजों और उनकी प्रबन्धकारिणी के कर्तव्यों और अधिकारों का वही रूप हो जो कि अन्य विश्वविद्यालयों, उनसे सम्बद्ध कालेजों व उनकी प्रबन्धकारिणी के हैं और यदि सरकार यह आवश्यक समझती है कि प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में किसी नये प्रकार के प्रतिबन्ध किये जांय तो एक विधेयक सदन में ला कर विधान मण्डल की इच्छानुसार इस प्रकार का प्रतिबन्ध किया जा सकता है।

किन्तु जैसा समिति ने ऊपर अपने मत को प्रकट किया है, इन दोनों विश्वविद्यालयों को इस समय तक उस रूप में गठित न किया जाना, जो मूल अधिनियम के बनाये जाने के समय विधान मंडल का आशय था, सरकार की ओर से अकर्मण्यता, अनिश्चितता व असतर्कता का द्योतक है और समिति इस बात पर बल देती है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र ऐसे प्रयत्न करें कि वह दोनों विश्वविद्यालय विधान मण्डल के आशयों के अनुसार गठित 'अथोरिटीज' के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र चलने लगें।

अन्त में समिति उन सभी साक्षियों की आभारी है जिन्होंने समिति के समक्ष तथ्यों अथवा वैधानिक परिस्थिति के सम्बन्ध में समिति की सहायता की। समिति विधान परिषद् सचिवालय व विशेषतः सचिव, विधान मण्डल व सचिव, विधान परिषद्, की आभारी है जिन्होंने समिति के विचार विमर्श व अन्य कार्यों में श्रम व तत्परता से कार्य किया।

गोपाल नारायण,
सभापति।

परिशिष्ट 'क'

प्रश्न संख्या	उत्तर
श्री हृदय नारायण सिंह, तथा श्री पारस नाथ सिंह—	
17—क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय के परिनियम पार्लियामेन्टरी कमेटी के समक्ष कब रखे गये ?	कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावलियां लोक सभा की मेज पर 29 नवम्बर, 1968 को तथा राज्य सभा की मेज पर 4 दिसम्बर, 1968 को रखी गयी।

श्री हृदय नारायण सिंह—

मैं यह जानना चाहता था कि क्या 14 दिन की अवधि में जो मेज पर रखने की थी वह पूरी हो गई या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, जो निश्चित कालावधि है उस समय तक वह पटल पर रखे गये और वह पूरी हुई ?

श्री हृदय नारायण सिंह—

माननीय मंत्री जी बात सही नहीं कह रहे हैं.....

श्री श्रीपति मिश्र—

इस पर मेरी आपत्ति है, यह किस तरह की बात है कि सही नहीं कह रहे हैं। मैं इस पर आपत्ति करता हूं और आप की नोटिस में लाता हूं।

श्री सभापति—

माननीय सदस्य का यह आशय तो नहीं है माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—

जी नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, भूल रहे हैं जब स्टेट्यूट्स यहां पर रखे गये तो यह कहा गया था माननीय मंत्री जी की तरफ से कि 14 दिन की अवधि वह पूरी नहीं हुई। अगर 14 दिन की अवधि पूरी हो गई थी तो वह स्वीकृति हो गये होंगे, यह माननीय मन्त्री बतला दें और किसी से पता चल जायेगा ? लेकिन ये आज तक स्वीकृति नहीं हुए हैं ? मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय समय-समय पर निकलने वाले सरकारी आदेशों के अनुसार संचालित हो रहे हैं.....

इस हाउस में माननीय मंत्री जी का पहले जो इस सम्बन्ध में भाषण हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 14 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है इसलिये स्टेट्यूट्स स्वीकृत नहीं समझे जाते हैं। उस भाषण की कापी हमारे पास नहीं है।

श्री सभापति—

माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने जैसा निवेदन किया प्रश्न यह है कि मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालयों के परिनियम पार्लियामेंटरी कमेटी के समय कब रखे गये। यदि पार्लियामेन्ट्री कमेटी के समक्ष रखे ही नहीं गये यह तो लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखे गये और यहां पर जितने समय तक पटल पर रखना आवश्यक था उतने समय के लिये रखे गये। वहां उसमें कोई परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन नहीं हुए। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं थी कि इन्हें पार्लियामेंट कमेटी में रखा जाये। इस लिये वहां नहीं रखे गये।

श्री हृदय नारायण सिंह—

मान्यवर, जब किसी प्रदेश में प्रेसीडेंट रूल होता है तो वहां कार्य संचालन करने के लिये तथा राज्यपाल को सलाह देने के लिये कमेटी बनती है तो उस पार्लियामेंटरी कमेटी के समक्ष उसको रखा जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 14 दिन की अवधि पूरी हो गई तो क्या माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि जो स्टेट्यूट्स हैं वे स्वीकृत हो जायेंगे।

श्री सभापति—

नियम यह है कि 14 दिन तक सदन के पटल पर रहेगा लेकिन उस पर चर्चा हो जाये या डिसकशन मांगा जाये तो बात दूसरी है और यदि कोई आपत्ति नहीं होती तो अनुमोदित माना जाता है। क्या मंत्री जी की मंशा यही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, यही मेरी मंशा है।

श्री सभापति—

इसके सम्बन्ध में अधिनियम की एक धारा है जिसके अन्तर्गत 14 दिन तक दोनों सदनों की मेज पर रखना आवश्यक है और यदि उस पीरियड में कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसे अनुमोदित माना जाता है।

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, जो नियम के अन्तर्गत आवश्यकतायें थीं उनको पूरा किया गया और उनको पूरा करने के बाद जो प्रभाव होता है वह होगा। इसमें मेरी राय की क्या आवश्यकता थी।

श्री जगन्नाथ शर्मा—

उस समय यहां प्रेसीडेंट रूल था और जो पार्लियामेन्ट की कमेटी थी जिसके प्रेसीडेन्ट होम मिनिस्टर थे उनके सामने इसे नहीं रखा गया था। यह निराधार है और अवैधानिक है कि उसको कमेटी के सामने नहीं रखा गया।

श्री सभापति—

संविधान के आर्टिकल ३५६ के अन्तर्गत यह है कि :

> 356.. ...The powers of the Legislature of the State shall be exerciseable by or under the authority of Parliament.
>
> (1)—(*b*)
>
> (*c*) make such incidental and consequential provision as appear to the president to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of the constitution in the State.

श्री हृदय नारायण सिंह—

उसको कमेटी के सामने रखना चाहिये था।

श्री सभापति—

संविधान में कमेटी का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री जगन्नाथ शर्मा—

अध्यक्ष जी, उस समय पार्लियामेंट के सदनों में रखने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति का शासन उस समय था।

श्री हृदय नारायण सिंह—

अध्यक्ष जी, यह तो स्टेट्यूट्स है एक बार यहां हाउस में आये थे और उस पर यहां बहस भी हुई थी कि उनको अप्रूव माना जाता है क्योंकि लोक सभा के सामने या पार्लियामेन्ट की जो कमेटी है वहां से अप्रूव हो गई है इसलिये इस हाउस में रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति—

इस हाउस में ?

श्री हृदय नारायण सिंह—

जी हां, इस हाउस में। उस समय जब इन स्टेट्यूट्स को रखा गया था तो उस पर यहां काफी चर्चा हुई थी। जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि स्टेट्यूट्स बने नहीं हैं और दोनों विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के आदेशों के मातहत चल रहे हैं। आप तो अध्यक्ष जी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। उन पर इस हाउस में काफी बहस हुई थी और यह कहा गया था कि चूंकि ये सदन के सामने 14 दिन तक नहीं रहे इस लिये स्वीकार नहीं हो सके।

श्री सभापति—

माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री हृदय नारायण सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर १४ दिन के फार्मेलिटी पूरी हो गई है तो वह लागू क्यों नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति—

जिन स्टेट्यूट्स की आप चर्चा कर रहे हैं वे तो अधिनियम के भाग बन गये हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—

कौन से स्टेट्यूट्स ?

श्री सभापति—

मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालयों के स्टेट्यूट्स तो अधिनियम के भाग बन गये हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—

लेकिन जब उनके सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी नहीं हुई है तो कैसे वे अधिनियम के भाग बनाये जा सकते हैं।

श्री सभापति—

आप जो जानकारी चाहते हैं वह पूछिये।

श्री हृदय नारायण सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालयों के स्टेट्यूट्स बन गये हैं और वह लागू हो गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो मेरे सामने प्रश्न है उसके अतिरिक्त यह प्रश्न है।

श्री सभापति—

क्या वहां पर स्टेट्यूट्स लागू हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वह स्टेट्यूट्स बन गये हैं और उनके अनुसार काम हो रहा है।

श्री जगन्नाथ शर्मा—

क्या वे अभी कोर्ट के विचाराधीन हैं और अभी एफेक्टिव नहीं है ?... क्या सरकार को इसकी सूचना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि वह कोर्ट के विचाराधीन है ?

श्री सभापति—

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम है कि संविधान की पूर्ति हुई है या नहीं। इसलिये नियम ७६ का प्रयोग करते हुए ३ आदमियों की समिति नियुक्त की जाय जो संवैधानिक स्थिति को समझ लें। मैं इसके सम्बन्ध में ३ आदमियों की एक समिति बनाऊंगा।

परिशिष्ट 'ख'

आदेश

(1) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, 1966।

(2) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1967 (आदेश दिनांक 10 मार्च, 1967)

(3) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1967 (आदेश दिनांक 17 मई, 1967)।

(4) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1967 (आदेश दिनांक 15 जुलाई, 1967)

(5) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1967 (आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 1967)

(6) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 1968 (आदेश दिनांक 7 मई, 1968)

(7) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1968 (आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1968)

(8) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1968 (आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1968)

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग-१) विभाग

संख्या ग-1—120(1)/15-60 (19)-1965

लखनऊ, 5 जनवरी, 1966

विज्ञप्ति

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, 1966

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं,

अतएव, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, 1966 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—ऐसे समय तक जब तक कि धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम उपकुलपति की और धारा 29 के अधीन प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति न हो जाय और वे अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक वह या वे व्यक्ति जिसे कुलपति, नामांकित करे, ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उपर्युक्त अधिनियम के अधीन उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग या पालन अथवा निष्पादित किये जाने योग्य है।

आज्ञा से,
राज कुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव,
शिक्षा विभाग।

UTTAR PRADESH GOVERNMENT

EDUCATION (C-I) DEPARTMENT

No. CI-120(i)/XV—60(19)-1965

Dated Lucknow, January 5, 1966

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. CI-120(i)-XV—60(19)-1965, dated January 5, 1966 :

No. CI-120(i)/XV—60(19)-1965

The Kanpur and Meerut Universities [Removal of Difficulties (First) Order, 1966]

WHEREAS, difficulties have risen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965).

Now, therefore, in exercise of the powers under clause (*b*) of sub-section (1) of section 50 of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following Order :

1. (1) This order may be called the Meerut and Kanpur Universities [Removal of difficulties (First) Order, 1966].

(2) It shall come into force at once.

2. Till such time as the first Vice-Chancellor is appointed under sub-section (1) of section 9 and the First Registrar is appointed under section 29 and they assume charge of their office, the person or persons to be designated by the Chancellor shall exercise the powers, discharge the duties and perform the functions, exerciseable or dischargeable or to be performed by the Vice-Chancellor and the Registrar under the aforesaid Act.

By order,
R. K. TALWAR,
Ayukta and Sachiv,
Education Department.

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग-१) विभाग

संख्या ग-1/1540--पन्द्रह-39(74)-66

लखनऊ, 10 मार्च; 1967 ई०

विज्ञप्ति

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

अतएव, अब, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1967 कहलायेगा;

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा;

(3) इस आदेश में शब्द 'अधिनियम' का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 से है।

2—(1) ऐसे समय तक जब तक कि अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद् यथाविधि संघटित नहीं हो जाती, तब तक इस आदेश के उप-खंड (2) के अधीन संघटित कार्यकारिणी परिषद् अधिनियम के अधीन, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों का प्रयोग या निर्वहनीय कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगी;

(2) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(1) उप-कुलपति; तथा

(2) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पन्द्रह व्यक्ति।

आज्ञा से,

राज कुमार तलवार,

आयुक्त एवं शिक्षा सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following translation of notification no. CI-1540/XV-39/(74)-1966, dated March 10, 1967:

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. CI/1540/XV-39(74)-1966

Dated Lucknow, March 10, 1967

Whereas, difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act No. XIII of 1965);

Now, therefore, in exercise of the powers under sub section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U.P. Act No. XIII of 1965) the Governor is pleased to make the following Order;—

Short title and Commencement 1. (1) This Order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1967.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

(3) In this Order the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

2. (1) Till such time as the Executive Council of Kanpur and Meerut Universities are duly constituted under sub-section (1) of Section 18 of the Act, the Executive Councils as constituted under sub-clause (2) of this Order shall exercise and perform the duties and functions exerciseable or dischargeable by the Executive Council of the University under the Act.

(2) The Executive Council of the University shall consist of:

(i) The Vice-Chancellor; and

(ii) Fifteen persons to be nominated by the State Government.

By order,
R. K. TALWAR,
Ayukt Evam Shiksha Sachiv.

विज्ञप्ति

विविध

संख्या ग-1/1540—15-39 (74)-1966
लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 1967 ई०

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश संख्या ग-1 1540—15-39 (74) 266 दिनांक 10 मार्च, 1967 के खंड 2 के उप-खंड 2 (2) के उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) की धारा 18 के अधीन विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के संगठित हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद् में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करती है:—

कानपुर विश्वविद्यालय—

1—श्री राधा कृष्ण अग्रवाल,
गोखले मार्ग, लखनऊ।

2—डा० प्यारे लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व उपकुलपति,
7, लाजपतराय मार्ग, इलाहाबाद।

3—श्री वीरेन्द्र स्वरूप, उपाध्यक्ष, विधान परिषद्
15/96, सिविल लाइन्स, कानपुर।

4—श्री विमल मेहरोत्रा,
128/89 एफ, किदवाई नगर, कानपुर।

5—श्री भगवत प्रसाद तिवारी, उद्योगपति,
4/281, बी० पी० मार्ग, कानपुर।

6—श्रीमती शान्ता बाई खेर, एम० एल० सी०,
झांसी।

7—श्री राम चन्द्र गुप्त, एडवोकेट,
सिंगी गली, आगरा।

8—श्री सरदार इन्दर सिंह, भूतपूर्व मेयर,
7/25, तिलक नगर, कानपुर।

9—श्री पी० डी० गुप्त, भूतपूर्व उपकुलपति
द्वारा श्री एन० के० गुप्त, शम्भूदयाल डिग्री कालेज,
गाजियाबाद।

10—श्री नफीसुल हसन, एम० पी०,
साहब खान, इटावा।

11—डा० के० पी० भटनागर, भूतपूर्व उपकुलपति,
तिलकनगर, कानपुर।

12—श्री सतगुरु शरण अवस्थी,
भूतपूर्व प्रधानाचार्य, बी० एन० एस० डी० कालेज,
8/9, आर्य नगर, कानपुर।

13—संचालक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी,
कानपुर। (पदेन)

14—श्री नरेन्द्र जीत सिंह, बार-एट-ला,
15/198-ए, विक्रमजीत मार्ग, कानपुर।

15—डा० जवाहर लाल रोहतगी,
16/10 सिविल लाइन्स, कानपुर।

मेरठ विश्वविद्यालय—

1—प्रो० रमेश मोहन,
अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2—श्री शीतल प्रसाद, प्रधानाचार्य,
डी० ए० वी० कालेज, मुजफ्फरनगर।

3—डा० एस० एस० जोशी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य,
मेरठ कालेज, मेरठ।

4—श्री एन० एन० मोहन, उद्योगपति,
204, साकेत, मोहननगर, गाजियाबाद-1.

5—प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,
मेरठ। (पदेन)

6—डा० बी० पुरी, प्रधानाचार्य,
मेरठ कालेज, मेरठ।

7—श्री एल० एस० अग्रवाल, अध्यक्ष,
सिलवानिया एण्ड लक्ष्मन कम्पनी,
30, मल्छा मार्ग, नई दिल्ली।

8—श्री बलवन्त सिंह, अध्यक्ष,
जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर।

9—श्रीमती सत्यवती स्नापिका,
अजय सदन, जिमखाना ग्राउन्ड, मेरठ।

10—डा० एन० के० अनन्तराव, डीन कृषि,
कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर।

11—डा० बी० आर० चटर्जी,
भूतपूर्व प्रधानाचार्य, मेरठ कालेज,
151, बी० सी० लाइन्स, मेरठ।

12—महन्त इन्द्रेश चरणदास,
दरबार श्री गुरु राम राय साहेब,
झंडा मुहल्ला, देहरादून।

13—नवाब सैयद अहमद खान छतारी,
मैरिसरोड, अलीगढ़।

14—प्रोफेसर जे० पी० नायक, परामर्शदाता,
शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

15—श्री आर० के० शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य,
बरेली कालेज, 359/5, सिविल लाइन्स,
बरेली।

आज्ञा से,
राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं शिक्षा सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following translation of notification no. CI/1541-XV-39(74)-1966, dated March 10, 1967:

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. CI/1541—XV-39(74)-1966
Dated Lucknow, March 10, 1967

In pursuance of the provisions of sub-clause (2) (ii) of clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order No. CI 1541-XV-39(74)-1966, dated March 10, 1967, the State Government, hereby nominates for a period of one year from the date of publication of this notification or till the constitution of the Executive Council of the University under section 18 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act No. XIII of 1965), whichever is earlier, the following persons to serve on the Executive Council of the Kanpur and Meerut Universities :

Kanpur University

1. Sri Radha Krishna Agarwala,
   Gokhale Marg,
   Lucknow.
2. Dr. Pearey Lal Srivastava,
   Ex-Vice-Chancellor,
   7, Lajpat Rai Road,
   Allahabad.
3. Sri Virendra Swarup,
   Deputy Chairman,
   Legislative Council,
   15/96, Civil Lines,
   Kanpur.
4. Sri Vimal Mehrotra,
   128/89F. Kidwai Nagar-II,
   Kanpur.
5. Sri Bhagwat Prasad Tewari,
   Industrialist,
   4/281, B. P. Road,
   Kanpur.
6. Smt. Shanta Bai Kher, M.L.C.,
   Jhansi.
7. Sri Ram Chandra Gupta,
   Advocate,
   Singi Gali,
   Agra.
8. Sardar Inder Singh,
   Ex-Mayor,
   7/25, Tilaknagar,
   Kanpur.
9. Sri P. D. Gupta,
   Ex-Vice-Chancellor,
   c/o Prof. N. K. Gupta,
   Shambhoo Dayal Degree
   College, Ghaziabad.
10. Sri Nafisul Hasan, M. P.,
    Sahab Khan,
    Etawah.
11. Dr. K. P. Bhatnagar,
    Ex-Vice-Chancellor,
    Tilaknagar,
    Kanpur.
12. Sri Satguru Saran Awasthi,
    Ex-Principal,
    B. N. S. D., College,
    8/9, Aryanagar,
    Kanpur.
13. Director, Indian Institute of
    Technology (Ex. officio),
    Kanpur.
14. Sri Shri Narendrajit Singh,
    Bar-at-Law,
    15/198-A, Vikramajit Road,
    Kanpur.
15. Dr. Jawahar Lal Rohatgi,
    16/10, Civil Lines,
    Kanpur.

Meerut University

1. Prof. Ramesh Mohan,
Head of English Department,
Lucknow University,
Lucknow.

2. Sri Shital Prasad,
Principal,
D. A. V. College,
Muzaffarnagar.

3. Dr. S. S. Joshi,
Ex-Principal,
Meerut College,
Meerut.

4. Sri N. N. Mohan,
Industrialist,
204, Saket, Mohan Nagar,
Ghaziabad.

5. Principal,
Medical College, (Ex-officio),
Meerut.

6. Dr. V. Puri,
Principal,
Meerut College,
Meerut.

7. Sri L. S. Agarwal,
President,
Silwania & Lakshman Co.,
30, Malchha Marg
New Delhi.

8. Sri Balwant Singh,
Adhyaksh,
Zila Parishad,
Muzaffarnagar.

9. Smt. Satyavati Snatika,
Ajay Sadan, Jimkhana Grounds,
Meerut.

10. Dr. N. K. Anant Rao,
Dean Agriculture,
Agricultural University,
Pantnagar.

11. Dr. B. R. Chatterjee,
Ex-Principal,
Meerut College,
151, B. C. Lines,
Meerut.

12. Mahant Indresh Charan Das,
Darbar Shri Guru Ram
Rai Saheb,
Jhanda Mohalla,
Dehra Dun.

13. Nawab Syeed Ahmad Khan
of Chhatari,
Marris Road,
Aligarh.

14. Prof. J. P. Naik,
Adviser,
Ministry of Education,
New Delhi.

15. Sri R. K. Sharma,
Ex-Principal,
Bareilly College,
359/5, Civil Lines,
Bareilly.

By Order,
R. K. TALWAR,
Ayukt Evam Shiksha Sachiv.

No. CI/1541(i)/XV-39 (74)-1966

1. Copy with two spare copies forwarded to the Superintendent, Printing, and Stationery, Branch Press, Lucknow, for publication in the Extraordinary Gazette of the U. P. Government, dated March 10, 1967.

   Hindi version is also enclosed.

2. Registrar, Agra/Kanpur/Meerut/Gorakhpur/Lucknow/Allahabad University/Varanaseya Sanaskrit Vishwavidyalaya, Varanasi/Banaras Hindu University, Varanasi/Aligarh Muslim University, Aligarh/Roorkee University/Agricultural University.

3. The Director of Education, U. P., Allahabad/Lucknow.

4. All the Regional Deputy Directors of Education/Regional Inspectresses of Girls Schools/District Inspectors of Schools.

5. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

6. The Secretary, University Grants Committee, U. P., Allahabad.

7. The Principals, All the degree colleges in Kanpur and Meerut Universities.

8. Legislative Department (Vetting Section) U. P. Secretariat.

By order,

S. N. MEHROTRA,

U. P. Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग–१) विभाग

संख्या ग–१—२१७७/१५—३६(७४)–६६
लखनऊ, १७ मई, १९६७ ई०

विज्ञप्ति

विविध

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

अतएव अब, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५) की धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:

१—(१) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्विविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७ कहलायेगा।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(३) इस आदेश में शब्द "अधिनियम" का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ से है।

२—नीचे की सारिणी के स्तम्भ २ में उल्लिखित अधिनियम के उपबन्ध, इस आदेश के दिनांक से बारह महीने की अवधि में, उक्त सारणी के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट परिष्कारों, परिवर्द्धनों तथा लोप के साथ प्रभावी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त अवधि को कम कर सकती है, यदि उसका किसी समय यह समाधान हो जाय कि कठिनाइयां अब नहीं रह गई हैं:

स्तम्भ १		स्तम्भ २
१—धारा १२	..	उपधारा (४) में शब्द "विद्युत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।
२—धारा १९	..	उपधारा (३) निकाल दी जाय।
३—धारा २०	..	उपधारा (३) तथा (४) निकाल दी जाय।
४—धारा २६	..	उपधारा (४) में शब्द "विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।
५—धारा ३३	..	उपधारा (१) का खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायें।
६—धारा ३७	..	(१) उपधारा (१) में शब्द "विद्युत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें। (२) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

IN pursuance of the provision of clause (2) of Article 348 of the Constitution of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following translation of notification no. CI/2177/XV—39(74)-1966, dated May 17, 1967 :

No.CI/2177/XV—39(74)-1966

WHEREAS, certain difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965), the Governor is pleased to issue the following order :

1. (1) This Order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of difficulties) (Second) Order, 1967.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

(3) In this Order the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

2. The provision of the Act, mentioned in column I of the table below, shall, during the period of twelve months from the date of this Order, have effect with the modifications, additions and omissions specified in column 2 of the said Table :

Provided that the said period may in any case be reduced by the State Government by notification in the *Gazette* if it is at any time satisfied that the difficulties no longer exist ;

Column I	Column II
1. Section 12 ..	With the words "Executive Council" substituted *for* the words "Academic Council" in sub-section (4).
2. Section 19 ..	With the omission of sub-section (3).
3. Section 20 ..	With the omission of sub-sections (3) and (4).
4. Section 26 ..	With the words "Executive Council" substituted *for* the words "Section Committee of the University in the subject concerned" in sub-section (4).
5. Section 33 ..	With the omission of clauses (*b*) and (*c*) of sub-section (1).
6. Section 37 ..	(i) With the words "Executive Council" substituted *for* the words "Academic Council" in sub-section (1). (ii) With the omission of sub-section (4).

आज्ञा से,
राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव।

No. CI/2177(i)/XV—39(74)-1966

1. Copy with two spare copies, forwarded to the Superintendent, Printing and Stationery, Branch Press Lucknow, for publication in the *Extra-ordinary Gazette* of the U. P. Government, dated May 17, 1967. Hindi version is also enclosed.

2. Registrar, Agra/Kanpur/Meerut/Gorakhpur/Lucknow/Allahabad, University/Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi/Banaras Hindu University, Varanasi/Aligarh Muslim University, Aligarh/Roorkee University/Agricultural University.

3. The Director of Education, U. P., Allahabad/Lucknow.

4. All the Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls Schools/District Inspectors of Schools.

5. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

6. The Secretary, University Grants Committee, U. P., Allahabad.

7. The Principals, all the Degree Colleges in Kanpur and Meerut Universities.

8. Legislative Department (Vetting Section), U. P. Secretariat.

9. Language Department, U. P. Secretariat.

By order,
S. N. MEHROTRA,
Up Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग–१) विभाग

संख्या ग–१/(आर) ४१३९/१५—३९ (७४)-१९६६
लखनऊ, १५ जुलाई, १९६७ ई०

विज्ञप्ति

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

अतएव, अब, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ (यू०पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४) की धारा २१ के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५) की धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नांकित आदेश देते हैं :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — १—(१) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७ कहलायेगा।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(३) इस आदेश में शब्द "अधिनियम" का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९६५ से है।

२—उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण दिनांक १० मार्च, १९६७ में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या ग–१/–१५४०/पन्द्रह–३९(७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ में कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७ के खन्ड २ के उपखण्ड २ (२) में शब्द "पन्द्रह व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "उन्नीस व्यक्ति" रख दिये जायें।

आज्ञा से,
राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

SHIKSHA (GA-I) VIBHAG

No. CI(R)/4939/XV—39(74)-1966

Dated Lucknow, July 15, 1967

NOTIFICATION

Miscellaneous

WHEREAS difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965) read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904) the Governor is pleased to make the following Order :

Short title and commencement

1. (1) This Order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1967.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

(3) In this Order the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

2. In Sub-clause 2(ii) of Clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order no. CI/1540/XV—39(74)-66, dated March 10, 1967, published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 10, 1967, *for* the words "Fifteen persons" the words "Nineteen persons" shall be *substituted*.

By order,

R. K. TALWAR,

Ayukt and Sachiv.

No. CI/(R)/4939(i)/XV—39(74)-1966

COPY forwarded for information to :

(1) The Registrar, Agra/Kanpur/Meerut/Gorakhpur/Lucknow/Allahabad University/Varanaseya Sanaskrit Vishwavidyalaya, Varanasi/Banaras Hindu University/Aligarh Muslim University/Roorkee University/U. P. Agricultural University.

(2) The Legislative Department (Vetting Section) of U. P. Secretariat.

(3) The Director of Education, U. P., Allahabad/Lucknow.

(4) All the Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspecttresses of Girls Schools/District Inspector of Schools.

(5) Secretary, University Grants Committee, U. P., Allahabad.

(6) Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

(7) Principals, All the Degrees Colleges in Kanpur and Meerut Universities.

(8) The Superintendent, Printing and Stationery, U. P., Lucknow with a copy of Hindi version for publication in extraordinary issue of the *Gazette*, dated July 15, 1967. One thousand copies each of the notification in English and Hindi version along with the above endorsement may kindly be supplied to Government immediately after publication in the *Gazette*. One thousand copies of the notification in Hindi version only may also kindly be supplied.

By order,
S. N. MEHROTRA,
Up Sachiva.

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग–1) विभाग

संख्या ग–1/(आर) 4940/15—39(74)-1966
लखनऊ, 15 जुलाई, 1967 ई0

विज्ञप्ति

विविध

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश संख्या ग–1/(आर) 4939/15—39(74)-1966, दिनांक 15 जुलाई, 1967 द्वारा यथासंशोधित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश संख्या ग–1/1540/पन्द्रह—39 (74)-66, दिनांक 10 मार्च, 1967 के खण्ड 2 के उप खण्ड 2(2) के उपबन्धों के अनुसरण में और सरकारी विज्ञप्ति संख्या ग–1 1541/15—39(74)/1966, दिनांक 10 मार्च, 1967 के क्रम में राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से उपर्युक्त सरकारी विज्ञप्ति संख्या ग–1/1541/15—39(74)/1966, दिनांक 10 मार्च, 1967 के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) की धारा 18 के अधीन विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के संगठित हो जाने तक, इस में जो भी पहले हो, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद् में कार्य करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करती है :

कानपुर विश्वविद्यालय

1– श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, गोखले मार्ग, लखनऊ जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया, के स्थान पर–	श्री राजेन्द्र सिंह, प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

अतिरिक्त सदस्य

1—श्री एम0 अब्राहम, प्रधानाचार्य, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर ।

2—श्री एस0 एस0 शर्मा, प्रधानाचार्य, बी0एम0एस0 डी0 कालेज, कानपुर ।

3—श्री गंगाराम तलवार, एम0 एल0ए0, विधि विभागाध्यक्ष, डी0 एस० एस-डी0 कालेज, कानपुर ।

4—डा0 आर0 बी0 सिंह, प्रधानाचार्य, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

मेरठ विश्वविद्यालय

1—नवाब सैय्यद अहमद खां छतारी, मॅरिस रोड, अलीगढ़ (जिन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य रहने से इन्कार किया के स्थान पर ।	लाला रामेश्वर दयाल, एम0ए0, एल-एल0 बी0, कानूनगोयान, मेरठ ।

अतिरिक्त सदस्य

1—श्री प्रकाश वीर शास्त्री, एम0 पी0, नं0 1, कॅनिंग लेन, नयी दिल्ली ।

2—श्री पृथ्वीनाथ सेठ, भूतपूर्व एम0एल0 सी0, ऐडवोकेट, मेरठ ।

3—डा0 के0 क0 शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, मेरठ कालेज, मेरठ ।

4—श्री गूजर मल मोदी, प्रेसिडेंट, एम0 एम0 कालेज, मोदीनगर ।

आज्ञा से,

राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव ।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

SHIKSHA (GA-I) VIBHAG

No. CI/(R)/4940/XV—39(74)-1966

Dated Lucknow, July 15, 1967

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of sub-clause 2(ii) of Clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order no. CI 1540 XV—39(74)-66, dated March 10, 1967, as amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order no.. CI-(R) 4939 XV—39(74)-66, dated July 15, 1967, and in continuation of Government notification no. CI 1441 XV—39(74)-1966, dated March 10, 1967, the State Government hereby nominates with effect from the date of publication of this notification till the expiry of the period of one year from the date of publication of the aforesaid Government notification no. CI 1541 XV—39(74)-1966, dated March 10, 1967, or till the constitution of the Executive Council of the University under section 18 of the Kanpur and Meerut Universties Act., 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965), whichever in earlier the following persons to serve on the Executive Council of the Kanpur and Meerut Universities :

KANPUR UNIVERSITY

1. Sri Rajendra Singh, Professor, Physics Department, Allahabad University, Allahabad. *Vice* Sri Radha Krishna Agrawala, Gokhale Marg, Lucknow (resigned).

Additional members

1. Sri N. Abraham, Principal, Christ Church College, Kanpur.
2. Sri S. S. Sharma, Principal, V. S. S. D., College, Kanpur.
3. Sri Ganga Ram Talwar, M.L.A., Head of Law Department, V. S. S. D., College, Kanpur.
4. Dr. R. V. Singh, Principal King George's Medical College, Lucknow.

MEERUT UNIVERSITY

1. Lala Rameshwar Dayal M.A., LL.B., Kanu Goyan, Meerut. *Vice* Nawab Syeed Ahmad Khan of Chhatari, Marris Road, Aligarh (who has declined to serve on the Executive Council of Meerut University).

Additional members

1\. Sri Prakash Vir Shastri, M.P., No. 1 Canning Lane, New Delhi.

2\. Sri Prithvi Nath Seth, Ex.-M.L.C., Advocate, Meerut.

3 Dr. K. K. Sharma. Ex-principal, Meerut College, Meerut.

4\. Sri Gujar Mal Modi, President, M. M. College, Modinagar..

By Order,
R. K. TALWAR,
Ayukt Evam Sachiv)

No. CI/(R)/4940(i)/XV—39(74)-1966

COPY forwarded for information to—

(1) The Registrar, Agra/Kanpur/Meerut/Gorakhpur/Lucknow/Allahabad University/Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi/Banaras Hindu University/Aligarh Muslim University/Roorkee University/U.P. Agricultural University.

(2) The Legislative Department (Vetting Section) of the U. P. Secretariat.

(3) The Director of Education, U. P., Allahabad/Lucknow.

(4) All the Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls Schools District Inspector of Schools.

(5) Secretary, University Grants Committee, U. P., Allahabad.

(6) Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

(7) Principals, All the Degree Colleges, in Kanpur and Meerut Universities.

(8) The Superintendent, Printing and Stationery, U. P., Lucknow with a copy of Hindi version for publication in extraordinary issue of the *Gazette*, dated July 15, 1967. One thousand copies each of the noification in English and Hindi version along with the above endorsement may kindly be supplied to Government immediately after publication in the *Gazette*. One thousand copies of the notification in Hindi version only may also kindly be supplied.

By order,
S. N. MEHROTRA,
Up Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (ग-1) विभाग

संख्या ग-1/8594/15—39-ए(19)-67

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 1967 ई०

विज्ञप्ति

विविध

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाइयां उपत्न हो गयी हैं,

अतएव, अब कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) की धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1967 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2—इस आदेश में शब्द "अधिनियम" का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 से है।

3—ऐसे समय तक जब तक कि अधिनियम की धारा 15 के अधीन कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की कोर्ट्स यथाविधि संघटित नहीं हो जातीं, तब तक कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1967, दिनांक 10 मार्च, 1967 के खण्ड 2 के उप खण्ड (2), जो बाद में कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1967 द्वारा संशोधित हुआ है, के अधीन संघटित कार्यकारिणी परिषद्, उक्त कोर्ट्स् द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी। जिनका सम्बन्ध दीक्षान्त समारोह करने तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को, जिनका उल्लेख उक्त अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (4) में किया गया है, प्रदान एवं सम्प्रदान करने से है।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following translation of notification no. CI,8594,XV—39-A(19)-67, dated December 8, 1967 ;

No. CI/8594/XV—39-A(19)-1967

Dated Lucknow, December 8, 1967

NOTIFICATION

Miscellaneous

WHEREAS, difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965);

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (*b*) of sub-section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965), the Governor is pleased to make the following Order:

ORDER

1. (1) This Order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Dfficulties) (Fourth Order), 1967.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

2. In this Order the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

3. Till such time as the Courts of Kanpur and Meerut Universities are duly constituted under section 15 of the Act, the Executive Councils, as constituted under sub-clause (2) of clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1967, dated Mareh 10, 1967 and subsequently amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Diffiulties) (Third) Order, 1967, shall exercise the powers and perform the functions of the aforesaid Courts in relation to holding of Convocation and granting and conferring of degrees, diplomas and other academic distinctions to, and on, persons mentioned in clause (iv) of section 5 of the aforesaid Act.

आज्ञा से,
राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा (ग–1) विभाग

संख्या ग-1/(आर)–3670/15—39(74)-1966

लखनऊ 7 मई, 1968 ई०

विज्ञप्ति

विविध

चूंकि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं:—

अतएव, अब, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1904) की धारा 21 के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

संख्या 13, 1965) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

आदेश

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968

(कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 की धारा 50(1) देखिये)

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968 कहलायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(3) इस आदेश में शब्द "अधिनियम" का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 से है।

2—उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, दिनांक 17 मई, 1967 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या ग–1/2177/15—39(74)–1966, दिनांक 17 मई, 1967) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश 1967 के खण्ड 2 में शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "चौबीस" रख दिया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. CI(R)/3670/XV—39(74)-1966, dated May 7, 1968.

No. CI(R)/3670/XV—39(74)-1966

WHEREAS certain difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904), the Governor is pleased to issue the following order:

ORDER

THE KANPUR AND MEERUT UNIVERSITIES (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 1968

[(*See* SECTION 50(1) OF THE KANPUR AND MEERUT UNIVERSITIES ACT, 1968)]

1. (1) This order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1968.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

(3) In this Order, the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

2. In clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Dfficulties) (Second) Order, 1967 (Order no. CI/2177/XV—39(74)-1966, dated May 17, 1967), published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 17, 1967, *for* the word "twelve" the word "twenty four" shall be substituted.

आज्ञा से,
राजकुमार तलवार,
आयुक्त एवं सचिव।

(No.)CI(R)/3670(i)/XV—39(74)-1966

1. Copy with Spare copies forwarded to the Superintendent, Printing and Stationery, Branch Press, Aishbagh, Lucknow, for publication in the *Extraordinary Gazette* of the U. P. Government, dated May 7, 1968. Hindi version is also enclosed.

2. Registrar, Agra/Kanpur/Meerut/Gorakhpur/Lucknow/Allahabad, University/Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi/Banaras Hindu University, Varanasi/Aligarh/Muslim University, Aligarh/Roorkee University Agricultural University.

3. The Director of Education, U. P. Allahabad/Lucknow.

4. All the Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls Schools/District Inspectors of Schools.

5. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.

6. The Secretary, Vishwavidyalaya Shiksha Salahkar Board, U. P. Allahabad.

7. The Principals, all the Degree Colleges in Kanpur and Meerut Universities.

8. Legislative Department (Vetting Section), U. P. Secretariatte

9. Langauage Department, U. P. Secretariate.

10. The Secretary to the Governor.

By order,
S. N. MEHROTRA,
Up Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा (ग–1) विभाग

संख्या ग–1/(र) 9035/15—39(9)-66
लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1968 ई०

विज्ञप्तियां

विविध

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं;

अतएव, अब, यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1904) की धारा 21 के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, अधिनियम 1965 की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

आदेश

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना (ख) द्वितीय आदेश 1968)

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1968 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(3) इस आदेश में शब्द "अधिनियम का तात्पर्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 से है।

2—उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण दिनांक 7 मई, 1968 में प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968 [आदेश संख्या ग–1 (आर)–3670/15—39(74)-66, दिनांक 7 मई, 1968] द्वारा यथासंशोधित और उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, दिनांक 17 मई, 1967 में प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1967 [आदेश संख्या ग—1–2177/15—39 (74)–1966, दिनांक 17 मई, 1967 के खण्ड 2 में शब्द "चौबीस महीने की अवधि में" के स्थान पर शब्द "छत्तीस महीने की अवधि में या विद्वत परिषद, वित्त समिति, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की चयन समिति और फैकल्टियों के बोर्ड का यथाविधि संघटन हो जाने तक, इस में जो भी पहले हो," रख दिये जायें। — संशोधन

संख्या ग–1/(र)–10988/15–39(9)-66

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के सम्बन्ध में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं;

अतएव, अब, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1904) की धारा 21 के साथ पठित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:—

आदेश

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1968।

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह आदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1968 कहलायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(3) इस आदेश में शब्द अधिनियम का तात्पर्य "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965" से है और शब्द "प्रथम परिनियमावली" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन बनायी गयी कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों से है।

2—नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों के उपबन्ध, इस आदेश के दिनांक से चौबीस-महीने की अवधि में या विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में परिनियम बनाये जाने तक, इस में जो भी पहले हो, उक्त सारिणी के स्तम्भ 2 में दिये गये परिष्कारों, परिवर्द्धनों तथा लोपों के साथ प्रभावी होंगे :—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
	कानपुर विश्वविद्यालय
1—परिनियम 3.01 (क) ..	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिस ने इस परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विश्वविद्यालय की बी0 ए0 की परीक्षा में गृह विज्ञान का विषय लेकर बैठने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया हो, 1969 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जायगी।"
2—परिनियम 5.08 ..	परिनियम 5.08 के पश्चात् निम्नलिखित परिनियम 5.08-क बढ़ा दिया जाय— "5.08-क—अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के मद (7) के अधीन निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होंगे।"
3—परिनियम 5.19 ..	औषधि की फैकल्टी के पश्चात् शब्द "होम्योपैथिक औषध की फैकल्टी" बढ़ा दिया जाय।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
4—परिनियम 5.23	(1) कला की फैकल्टी के अन्तर्गत मद (15) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— "(16) गणित। (17) सैन्य शिक्षा। (18) शिक्षा विज्ञान। (19) सांख्यिकी। (20) प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति।" (2) विज्ञान की फैकल्टी के अन्तर्गत मद (8) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— "(9) अर्थ शास्त्र। (10) भूगोल।". (3) अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— "होम्योपैथिक औषधि की फैकल्टी : (1) शरीर रचना विज्ञान। (2) क्रिया विज्ञान। (3) औषध शास्त्र तथा जीवरसायन विज्ञान। (4) अन्वेषण विधि (आरगैनोन)। (5) होम्योपैथिक फारमेसी। (6) पुराने रोग। (7) स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन-स्वास्थ्य। (8) होम्योपैथी के सिद्धान्त तथा होम्योपैथिक औषध का इतिहास। (9) विकृति विज्ञान। (10) चिकित्सकीय विधि शास्त्र तथा विष विज्ञान (टोक्सीकालोजी)। (11) रोगाभिलेखन और रिपर टारिसेशन। (12) नत्र विज्ञान। (13) होम्योपैथिक चिकित्सा। (14) चिकित्सा व्यवसाय। (15) शल्य चिकित्सा। (16) प्रसूति तथा स्त्री रोग। (17) होम्योपैथिक फिलासफी। (18) मनोविकार तथा मानसिक रोग। अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी की फैकल्टी:— (1) जीव रासायनिक अभियंत्रण तथा खाद्य प्रौद्योगिकी। (2) रसायन विज्ञान। (3) रसायन अभियंत्रण। (4) सिविल अभियंत्रण। (5) विद्युत अभियंत्रण। (6) मानव जाति।

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
	(7) गणित। (8) यांत्रिक अभियंत्रण। (9) तैल तथा पेन्ट प्रौद्योगिकी। (10) भौतिक विज्ञान। (11) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी। (12) जीवन विज्ञान। (13) वस्त्र रसायन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी।"
5—परिनियम 6.35	अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी की फैकल्टी में उपाधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : "5—बैचलर आफ टेक्सटाइल (बी० टेक्स्ट)"
6—परिनियम 6.04	प्रथम पंक्ति में शब्द "सम्बद्ध कालेजों" के पूर्व निम्नलिखित शब्द "प्रौद्योगिकी या अभियंत्रण कालेज से, जो अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा, भिन्न" बढ़ा दिये जायं।
7—परिनियम 7.32	द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "सम्बन्धित कालेज के उत्तर और ऐसे निरीक्षण के, यदि कोई हो, प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद्, यदि आवश्यक हो, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से, कालेज की सम्बद्धता या मान्यता, ऐसे दिनांक से, जो वह निर्दिष्ट करे, वापस ले सकती है अथवा उसको निलम्बित कर सकती है।"
8—परिनियम 11.03	खण्ड 2 (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिवर्ष के दिनांक के पूर्व सेवाकाल बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नौ माह की अवधि और समिति द्वारा सिफारिशें करने के लिए छः माह की अवधि का निर्बन्धन ऐसे अध्यापकों की दशा में लागू न होगा जो शैक्षिक वर्ष 1968–69 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।"
	मेरठ विश्वविद्यालय
1—परिनियम 3.01 (क)	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने इस परिनियमावली के प्रचलित होने के पूर्व विश्वविद्यालय की बी० ए० की परीक्षा में गृह विज्ञान का विषय लेकर बैठने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो, 1969 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जायगी।"
2—परिनियम 5.08	परिनियम 5.08 के पश्चात् निम्नलिखित परिनियम 5.08(क) बढ़ा दिया जाय:— "5.08(क)—अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के मद (7) के अधीन निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होंगे।"

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
3—परिनियम 5.23	कला की फैकल्टी के अन्तर्गत मद (15) के पश्चात् मद "(16) शिक्षा विज्ञान" बढ़ा दिये जायें।
4—परिनियम 6.04	प्रथम पंक्ति में शब्द "सम्बद्ध कालेजों" के पूर्व निम्नलिखित शब्द "प्रौद्योगिकी या अभियंत्रण कालेज से, जो अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा, भिन्न" बढ़ा दिये जायें।
5—परिनियम 7.32	द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "सम्बन्धित कालेज के उत्तर और ऐसे निरीक्षण के, यदि कोई हो, प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद्, यदि आवश्यक हो, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से, कालेज की सम्बद्धता या मान्यता, ऐसे दिनांक से, जो वह निर्दिष्ट करे, वापस ले सकती है अथवा उस को निलम्बित कर सकती है।"
6—परिनियम 11.03	खण्ड 2(क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह भी है कि अधिवर्ष के दिनांक के पूर्व सेवाकाल बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नौ माह की अवधि और समिति द्वारा सिफारिशें करने के लिए छः माह की अवधि का निर्बन्धन ऐसे अध्यापकों की दशा में लागू न होगा जो शैक्षिक वर्ष 1968–69 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।"

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. CI(R)/9035/XV—39(9)-66, dated December 31, 1968 :

No. CI(R)/9035/XV—39(9)-66

Dated Lucknow, December 31, 1968

NOTIFICATION

Miscellaneous

WHEREAS, certain difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 50 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. IV of 1904), the Governor is pleased to make the following Order

Order

The Kanpur and Meerut Universities Removal of Difficulties (Second) Order, 1968.

Short title and commencement

1. (1) This order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1968.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette.*

(3) In this Order word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

Amendment.

2. In clause 2 of the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1967 (Order no. CI/2177/XV—39(74)-1966, dated May 17, 1967, published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, of the same date as amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1968 (Order no. CI(R)/3670/XV—39(74)-1966, dated May 7, 1968, published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary* of the same date, *for* the words "during the period of twenty four months "the words" during the period of thirty-six months or till the Academic Council, Finance Committee, the Selection Committee of the University for appointment of teachers and Board of Faculties are duly constituted, whichever, is earlier" shall be *substituted.*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. CI(R)/10988/XV-39(9)-1966, dated December 31, 1968:

No. CI(R)/10988/XV—39(9)-1966

Whereas, certain difficulties have arisen in relation to the enforcement of the provisions of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1965).

Now, Therefore, exercise of the powers under sub-section (1) of section of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 (U. P. Act no. XIII of 1966), read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904) U. P. Act no. IV of 1904), the Governor is pleased to make the following order;

Order

The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties Third) Order, 1968

Short title and commencement.

1. (1) This Order may be called the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1968.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette.*

(3) In this order the word "Act" means the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 and the words "First Statutes' means the First Statutes of Kanpur and Meerut Universities as made by the State Government under sub-section (1) of section 31 of the Act.

2. The provisions of the First Statutes of Kanpur and Meerut Universities, mentioned in column 1 of the table below, shall during the period of twenty-four months from the date of order or till the Statutes in respect of the same subject-matter are made by the University, whichever is earlier, have effect with the modifications, additions and commissions in column 2 of the said table :

Column 1	Column 2
	KANPUR UNIVERSITY
1. Statute 3.01(*a*)	With the addition of the following proviso: "Provided that a candidate who had applied to appear in B.A. Examination of the University with Home Science as one of the subjects prior to the enforcement of these Statutes shall be allowed to appear in the examination of 1969.
2. Statute 5.08	With the addition of the following as Statute 5.08-A *after* Statute 5.08. "5.08-A. Election under item (vii) of sub-section (1) of section 18 of the Act shall be according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote."
3. Statute 5.19	With the addition of "Faculty of Homeopathic Medicine" *after* the Faculty of Medicine."
4. Statute 5.23	(i) With the addition of the following *after* item (5) under the Faculty of Arts : "(16) Mathematics. (17) Military Studies. (18) Education. (19) Statistics. (20) Ancient History and Culture". (ii) With the addition of the following after item (8) under the Faculty of Science: "(9) Economics. (10) Geography." (iii) With the addition of the following at the end: "Faculty of Homeopathic Medicine. (1) Anatomy. (2) Physiology. (3) Materia Medica and Biochemistry. (4) Organon. (5) Homeopathic Pharmacy. (6) Chronic Diseases. (7) Hygiene and Public Health. (8) Principles of Homoeopathy and History of Homeopathic Medicine. (9) Pathology.

Column 1		Column 2
		(10) Medical Jurisprudence and Toxicology. (11) Casetaking and Repertorisation. (12) Ophthalmology. (13) Homeopathic Therapeutics. (14) Practice of Medicine. (15) Surgery. (16) Obstetrics and Gynaecology. (17) Homoeopathic Philosophy. (18) Psychiatry and Mental Diseases.". (iv) Faculty of Engineering and Technology "(1) Biochemical Engineering and Food Technology. (2) Chemistry. (3) Chemical Engineering. (4) Civil Engineering. (5) Electrical Engineering. (6) Humanities. (7) Mathematics. (8) Mechanical Engineering. (9) Oils and Paints Technology. (10) Physics. (11) Plastic Technology. (12) Life Science. (13) Textile Chemistry and Technology."
5. Statute	5.25	With the addition of the following under the degrees in the Faculty of Engineering and Technology: "5. Bachelor of Textitle (B. Text.)".
6. Statute	6.04	With the addition of the words "other than a technological or engineering college which shall be prescribed by ordinances" *after* the words "affiliated colleges" in the first sentence.
7. Statute	7.32	With the substitution of the second sentence by the following: "After conisdering the reply of the college concerned and the report of such inspection, if any, the Executive Council may, if necessary, with the previous sanction of the Chancellor withdraw or suspend affiliation or recognition of the college with effect from such date as it may specify."
8. Statute	11.03	With the addition of the following proviso *after* clause 2(*b*).: "Provided also that the restriction of the period of nine months for submitting the proposal for extension before the date of superannuation and of six months for making recommendations by the Committee shall not apply in the case of teachers retiring during the academic session 1968-69."

Column 1	Column 2
	MEERUT UNIVERSITY
1. Statute 3.01(*a*)	With the addition of the following proviso: "Provided that a candidate who had applied to appear in B.A. examination of the University with Home Science as one of the subjects prior to the enforcement of these Statutes shall be allowed to appear in the examination of 1969."
2. Statute 5.08	With the addition of the following as Statute 5.08-A *after* Statute 5.08: "5.08-A. Election under item (vi) of sub-section (1) of section 18 of the Act shall be according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote."
3. Statute 5.23	With the addition of item "(16) Education" *after* item (15) under Faculty of Arts.
4. Statute 6.04	With the addition of the words "other than a technological or engineering college which shall be prescribed by Ordinances" *after* the words "affiliated colleges" in the first sentence.
5. Statute 7.32	With the substitution of the second sentence by the following: "After considering the reply of the college concerned and report of such inspection, if any, the Executive Council may, if necessary, with the previous sanction of the Chancellor withdraw, or suspend affiliation or recognition of the college with effect from such date as it may specify."
6. Statute 11.03	With the addition of the following proviso *after* clause 2(*b*).: "Provided also that the restriction of the period of nine months for submitting the proposal for extension before date of superannuation and of six months for making recommendations by the Committee shall not apply in the case of teachers retiring during the academic session 1968-69."

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश भटनागर,

शिक्षा सचिव।

परिशिष्ट 'ग'

अध्यादेश

1—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966।

2—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1967।

3—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश दिनांक 13 जुलाई, 1970)।

4—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश दिनांक 16 जनवरी, 1971)।

5—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश दिनांक 28 अप्रैल, 1971)।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, 1966]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

[भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।]

चूंकि विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1966 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13, 1965 की धारा 50 का संशोधन

2—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 50 की उपधारा (1) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) निदेश दे सकती है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 के अधीन दिये गये सभी या कोई भी परिनियम या अध्यादेश, ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारों के साथ, चाहे वे परिवर्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तब तक के लिए लागू होंगे जब तक कि उसी विषय के संबन्ध में धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन पहले परिनियम न बना दिये जायं।"

3—मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

नयी धारा 51 और 52 का बढ़ाया जाना

"51 (1)—इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी परिनियत संलेख में, जो किसी विश्वविद्यालय के निगमन से संबद्ध किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश अथवा बनाया गया कोई नियम, परिनियम या अध्यादेश हो, ऐसे आनुषंगिक तथा प्रसंगिक अनुकूलन और परिष्कार, चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, ऐसे दिनांक से कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे और ऐसे किसी अनुकूलन या परिष्कार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी :

कतिपय परिनियत संलेखों को अनुकूल बनाने और उन्हें परिष्कृत करने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(2)—उपधारा (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुकूलित या परिष्कृत किसी परिनियत संलेख में परिवर्द्धन, संशोधन या उसका विखंडन करने से रोकती है।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथासम्भव शीघ्र, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

52—किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों को, जो किसी कालेज या संस्था में, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण बाद में कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर लिया जाय अथवा सम्बद्ध समझा जाय, पाठ्य-क्रम का अध्ययन करने अथवा शोध कार्य करने के पश्चात् कोई डिग्री ले चुके हों अथवा एतद्पश्चात् लें, ऐसी डिग्री के आधार पर यह विकल्प होगा कि वे ऐसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार या तो अपने मूल विश्वविद्यालय के अथवा यथास्थिति, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के, किन्तु दोनों के नहीं, निबद्ध स्नातक हो जायं अथवा बने रहें और सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के परिनियमों में भी उनपर निबद्ध स्नातकों के निबन्धन को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप से निबन्धन करा लेने बाद कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातक होने के लिए उपर्युक्त के अनुसार विकल्प करते हैं।"

स्नातकों के निबंधन के संबंध में विकल्प

विश्वनाथ दास,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1967

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, 1967]

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत दिनांक 12 दिसम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया और दिनांक 12 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 को आगे आये हुए प्रयोजन के निमित्त और संशोधित करने के लिये,

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1967 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965 की धारा 4 का संशोधन

2—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, की धारा 4 में उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(6) उपधारा (1) से (3) तक में, या उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति में, अथवा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी ऐण्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926, के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहा समझा जायगा और सदैव से सम्बद्ध रहा समझा जायगा।"

यू० पी० अधि-नियम सं० 8, 1926

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1967 जारी करना आवश्यक था।

मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की इच्छा के अनुसार यह आवश्यक समझा गया कि नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आपथल्मोलाजी, सीतापुर को पूर्वगामी प्रभाव से आगरा विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्ध किया जाये और उसके लिए कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 को संशोधित किया जाय। चूंकि विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था और 1968 की परीक्षाओं के समय में कर सकने के हेतु आवश्यक परिवर्तन तुरन्त होना था अतः 12 दिसम्बर, 1967 को कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ प्रख्यापित किया गया।

राम प्रकाश,

उप-मुख्य मंत्री।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश 1970

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1970)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत दिनांक 13 जुलाई, 1970 को प्रख्यापित किया तथा दिनांक 13 जुलाई, 1970 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट प्रकाशित हुआ।]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 में सीमित अवधि के लिए, प्रभावशील कतिपय संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

1—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1970 कहलायगा। —संक्षिप्त नाम

2—(1) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची 1 के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारम्भ होकर तथा इस अध्यादेश के प्रख्यापित होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प कालीन अवधि जिसके लिए राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 और 2 में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा। (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965 में अस्थाई संशोधन तथा वैधीकरण।)

(2) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

3—(1) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनाई जाने के लिये तात्पर्यित तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियों संख्या ग-1 (आर) 4699/15–39(9)–1966 तथा ग-1/(आर) 7578/–15–39(9)–1966 के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग-1 (र) 10988/15–39(9)–66 के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अधिनियम में अस्थायी अवधि के लिये परिनियमों का समावेश किया जाना तथा उनका वैधीकरण।)

(तृतीय) आदेश 1968 द्वारा संशोधन तात्पर्यित हुए (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो 28 सितम्बर, 1968 से प्रारम्भ हो कर तथा इस आदेश के प्रख्यापित होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्ध से असंगत हो, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(2) उपर्युक्त बनायी गयी उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (1) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

अनुसूची

[धारा 2(1) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन जिनके अधीन ये प्रभावी होंगे और प्रभावी रहे समझे जायेंगे	दिनांक जिससे संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव होता
1	2	3
धारा १२(४)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायं।	17 मई, 1967
धारा १७	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :— "प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघठित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा ५ के खण्ड (४) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियों डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान एवं सम्पादन करने से संबंधित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायगा।	8 दिसम्बर, 1967।
धारा १८	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :— "(४) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघठित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे— (१) उपकुलपति, तथा (२) उन्नीस से अनधिक, अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्यकाल के लिये जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।"	१० मार्च, १९६७
धारा १९(३)	निकाल दी जाय	१७ मई, १९६७
धारा २०(३) तथा (४)	निकाल दी जाय	१७ मई, १९६७

धारा २६(४)	शब्द "विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद् रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३३(१)	खण्ड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें	१७ मई, १९६७
धारा ३७(१)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३७(४)	निकाल दी जायें	१७ मई, १९६७

अनुसूची २

[धारा २(२) देखिये]

१—१० मार्च, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-/११४०/पन्द्रह—११(७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७।

२—१७ मई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/२१७७/१५—११(७४)-६६, दिनांक १७ मई, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७।

३—१५ जुलाई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१ (आर) १११५/१५-११(७४)-१९६६, दिनांक १५ जुलाई, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७।

४—८ दिसम्बर, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/८५१४/१५—११-ए(११)—१९६७, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७।

५—७ मई, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/आर-३६७०/१५—११(७४)-१९६६, दिनांक ७ मई, १९६८ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६८।

६—३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/(र) ९०३५/१५—११(९)-६६, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६८।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या २८७/१७—१/७१

लखनऊ, १९ जनवरी, १९७१

विज्ञप्ति

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २,

१९७१) प्रख्यापित किया है जो इस विज्ञप्ति द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९७१)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में सीमित अवधि के लिये प्रभावशील कतिपय संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद २१३के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965 में अस्थायी संशोधन तथा वैधीकरण

२—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची १ के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारम्भ होकर तथा इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची क स्तम्भ १ और २ में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(२) अनुसूची २ में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

अधिनियम में अस्थायी अवधि के लिये परिनियमों का निर्मित किया जाना तथा उनका वैधीकरण

३—(१) मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनायी जाने के लिये तात्पर्यित तथा दिनांक २८ सितम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियां संख्या ग–(आर)–४६९९/१५–३९(९)-६६ तथा ग– (आर) ७५७८/१५–३९ (९)-६६ के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग–१/(र) १०९८८/१५–३९ (९)-६६ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६८ द्वारा संशोधन तात्पर्यित हुये, (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो २८ सितम्बर,

१९६८ से प्रारम्भ होकर तथा इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(२) उपर्युक्त बनायी गयीं उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (१) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सर्वव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान् अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

४—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९७० का निरसन।

अनुसूची १

[धारा २ (१) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन जिनके अधीन ये प्रभावी होंगे और प्रभावी रहे समझे जायेंगे	दिनांक जिससे संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव होगा
१	२	३
धारा १२ (४)	शब्द "विद्वत परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्य कारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७.
धारा १७	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :— "प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा ५ के खण्ड (४) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान एवं सम्पादन करने से सम्बन्धित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन कार्यकारिणी परिषद्, द्वारा किया जायेगा।"	८ दिसम्बर, १९७०
	निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :— "अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, अतिरिक्त परिनियम बनाने तथा ऐसे बनाये गये परिनियमों में [किन्तु कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध)	इस अध्यादेश के प्रारंभ का दिनांक

१	२	३
	अध्यादेश, १९७१ की धारा ३ में अभिविष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, और धारा ३१ के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।"	
धारा १८	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :— "(४) जबतक कि उपधारा (१) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे :— (१) उपकुलपति, तथा (२) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्य-काल के लिये जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम-निर्दिष्ट किये जायें।"	१० मार्च, १९६७
धारा १९ (३)	निकाल दी जाये	१७ मई, १९६७
धारा २० (३) तथा (४)	निकाल दी जाये	१७ मई, १९६७
धारा २६ (४)	शब्द "विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्य-कारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३३ (१)	खंड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें	१७ मई, १९६७
धारा ३७ (१)	शब्द "विद्वत परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्य-कारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३७ (४)	निकाल दी जाये	१७ मई, १९६७

अनुसूची २

[धारा २ (२) देखिये]

१—१० मार्च, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/१५४०/पन्द्रह-३९(७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७।

२—१७ मई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/२ १७७/१५-३९(७४)-६६, दिनांक १७ मई, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७।

३—१५ जुलाई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१/(आर)४९३९/१५-३९ (७४)-६६, दिनांक १५ जुलाई, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७।

4—8 दिसम्बर, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ए–1/8594/15–39 ए–(19) 67, दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1967।

5–7 मई, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ए–1/(आर)–3670/15–39–(64)-66, दिनांक 7 मई, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968।

6—31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ए–1/(र)/9935/15–39-(9)-66, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1968।

बी० गोपाल रेड्डी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

No. 287/XVII—6-1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Kanpur Tatha Meerut Vishwavidyalaya (Sankramankalin Upbandh) Adhyadesh, 1971 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 1971) promulgated by the Governor on January 16, 1971:

THE KANPUR AND MEERUT UNIVERSITIES (TRANSITIONAL) (PROVISIONS) ORDINANCE, 1971

(U. P. Ordinance No. 2 of 1971)

AN

ORDINANCE

to make certain amendments in the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965, having effect for a limited period, with a view to facilitating the functioning of the Kanpur and Meerut Universities.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:

Short title.

1. This Ordinance may be called the Kanpur and Meerut Universities (Transitional Provisions) Ordinance, 1971.

Temporary amendments in U. P. Act no. 13 of 1965 and validation.

2. (1) The Kanpur and Meerut Universities Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, shall during a period beginning on the date specified in column III of Schedule I and ending on the expiration of three years (or such shorter period as the State Government may by notification in the *Gazette* direct) from the date of promulgation of this Ordinance, have effect and be deemed to have had effect subject to the amendments specified in columns I and II of the said Schedule.

(2) Anything done or puporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the principal Act as amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Orders, specified in Schedule II shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Ordinance and to be and always to have been as valid as

if the provisions of this Ordinance were in force at all material times, any judgment, decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Incorporation of statutes for a temporary period in the Act and their validation.

3. (1) The statutes of the Kanpur and Meerut Universities purporting to have been made under sub-section (1) of section 31 of the Principal Act and published respecuively with notification nos. CI(R)-4699/XV—39(9)-66 and CI(R)—7578/XV—39(9) 66, dated September 28, 1968, in *Gazette Extraordinary* of the same date, as purporting to have been amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Dfficulties) (Third) Order, 1968, published with notification no. CI(R)/10988/XV—39(9)-66, dated December 31, 1968, in them *Gazette Extraordinary* of the same date (hereinafter in this section referred to as the said First Statues) are hereby enacted as forming part of the principal Act during a period beginning on September 28, 1968 and ending on the expiration of one year (or such shorter period as the State Government, may by notification in the *Gazette* direct), from the date of promulgation of this Ordinance, and the principal Act shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of the said First Statutes, have effect and be deemed to have had effect subject to such provisions.

(2) Anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the said First Statues shall be deemed to have been done or taken under the said statutes as anacted by sub-section (1) and to be, and always to have been as valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times, and judgment decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Repeal of U. P. Ordinance no. 10 of 1970.

4. The Kanpur and Meerut Universities (Transitional Provisions) Ordinance, 1970, is hereby repealed;

SCHEDULE I

[See *section* 2(1)]

Provision of principal Act	Amendments subject to which it shall have effect and be deemed to have had effect	Date from which the amendment shall have retrospective effect
1	2	3
Section 12(4)	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Academic Council."	May 17, 1967.
Section 17	*Add* the following proviso : "Provided that for so long as the Court is not duly constituted under section 15, the powers and functions of the Court in relation to holding of Convocation and granting and conferring of degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons mentoined in clause (iv) of section 5 shall be exercised and performed by the Executive Council."	December 8, 1967.

SCHEDULE I

[*See* SECTION 2 (1)]

Provision of principal Act	Amendments subject to which it shall have effect and be deemed to have had effect	Date from which the amendment shall have retrospective effect
1	2	3
Section 17	*Add* the following second proviso : "Provided further that for so long as the Court is not duly constituted, the powers and functions relating to the framing of additional statutes and of amending and repealing the statutes so framed [but not the statutes referred to in section 3 of the Kanpur and Meerut Universities (Transitional provisions) Ordinance, 1971] shall be exercised and performed by the State Government, and the provisions of section 31 shall not apply in relation to the exercise and performance of such powers and functions."	Date of commencement of this Ordinance.
Section 18 ..	*Add* the following sub-sectoin: "(4) For so long as the Executive Council is not duly constituted under sub-section (1), it shall consist of : (i) the Vice-Chancellor, and (ii) not more than nineteen other persons, to be nominated by the State Government from time to time and for such respective terms as may be specified."	March 10, 1967.
Section 19(3)	*Omit*	May 17, 1967.
Section 20(3) and (4).	*Omit*	May 17, 1967.
Section 25(4)	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Selection Committee of the University in the subject concerned."	May 17, 1967.
Section 33(1)	*Omit* clauses (*b*) and (*c*).	May 17, 1967.
Section 37(1)	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Academic Council."	May 17, 1967.
Section 37(4)	*Omit*	May 17, 1967.

SECHDULE II

[*See* Section 3(2)]

(1) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1967 published with notification no. CI-1540/XV—39(74)-66, dated March 10, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(2) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1967, published with notification no. CI—2177/XV—39(74)-1966, dated May 17, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(3) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1967, published with notification no. CI(R)-4939/XV—39(74)-1966, dated July 15, 1967 in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(4) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Fourth) Order, 1967, published with notification no. CI—8594/XV—39A(19)-1967, dated December 8, 1967, in the *Gazette Extrarodinary* of the same date.

(5) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1968, published with notification no. CI(R)-3670/XV-39(74)-1966, dated May 7, 1968, in the *Gazette Extrarodinary* of the same date.

(6) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1968, published with notification no. CI(R)-9035/XV—39(9)-1966, dated December 31, 1968, in the *Gazette Extrarodinary* of the same date.

B. GOPALA REDDI,
Governor,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या १७६५/१७—६८-१९७१
लखनऊ, २८ अप्रैल, १९७१

विज्ञप्ति

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९७१) प्रख्यापित किया है जो इस विज्ञप्ति के द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९७१)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में अग्रेतर संशोधन करने कतिपय संक्रमणकालीन तथा वधीकरण उपबन्धों को बनाने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है:

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

१—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ४७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

"४७-क—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी कार्य या किन्हीं कार्यवाहियों पर केवल इस आधार पर कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई त्रुटि थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।" अपवाद

३—(१) मूल अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची १ के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारम्भ होकर तथा इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ १ और २ में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायेगा ।

(२) अनुसूची २ में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो ।

४—(१) मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनायी जाने के लिये तात्पर्यित तथा दिनांक २८ सितम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक को अलग-अलग विज्ञप्तियाँ संख्या ग-(आर०)—४६९९/१५—३९ (९)-६६ तथा ग-(आर०)-७५७८/१५—३९ (९)-६६ के साथ क्रमशः प्रकाशित की गयी कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक को विज्ञप्ति संख्या ग—१-(र)-१०९८८/१५—३९(९)-६६, के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६८ द्वारा संशोधित तात्पर्यित हुये, (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो २८ सितम्बर, १९६८ से प्रारम्भ होकर तथा इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि के जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा ।

(२) उपर्युक्त बनायी गयी उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (१) द्वारा तथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध, सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

५—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुसूची १

[धारा ३ (१) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन	दिनांक जिससे संशोधन प्रभावी होगा और प्रभावी हुआ समझा जायेगा
१	२	३
धारा १२ (४) ..	शब्द "विद्वत परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायं।	१७ मई, १९६७
धारा १७ ..	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:— "प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा ५ के खण्ड (४) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के प्रदान एवं सम्पादन करने से सम्बन्धित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायेगा।"	८ दिसम्बर, १९७०
	निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:— "अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, अतिरिक्त परिनियम बनाये तथा ऐसे बनाये गये परिनियमों में [किन्तु कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश १९७१ की धारा ३ में अभिदिष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन राज्य सरकार	इस अध्यादेश के प्रारंभ का दिनांक

१	२	३
	द्वारा किया जायेगा, और धारा ३१ के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।"	
धारा १७ ..	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :— "(४) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन कार्य-कारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे :— (१) उपकुलपति तथा (२) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्यकाल के लिये जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम-निर्दिष्ट किये जायें।"	१० मार्च, १९६७
धारा १९ (३) ..	निकाल दी जाये	१७ मई, १९६७
धारा २० (३) तथा (४)	निकाल दी जाय	१७ मई, १९६७
धारा २६ (४) ..	शब्द "विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३३ (१) ..	प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३७ (१) ..	शब्द "विद्वत परिषद्" के स्थान पर शब्द कार्य-कारिणी परिषद्" रख दिये जायें।	१७ मई, १९६७
धारा ३७ (४) ..	निकाल दी जाये	१७ मई, १९६७

अनुसूची २

[धारा ३ (२) देखिये]

१—१० मार्च, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१/१५४०/पन्द्रह—१९ (७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७।

२—१७ मई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१/२१७७–१५३९ (७४)-६६, दिनांक १७ मई, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६७।

३—१५ जुलाई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—१ (आर०)–४१३९/१५—३९ (७४)-६६, दिनांक १५ जुलाई, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७।

४—८ दिसम्बर, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग–१/८५९४/१५–३९ ए०-(१९)-६७, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७।

५—७ मई, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१ (आर०)-३६७०/१५—२१ (६४)-६६, दिनांक ७ मई, १९६८ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६८।

६—३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-(र)-६०३५/१५—२१ (१)-६६, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना), (द्वितीय) आदेश, १९६८।

बी० गोपाल रेड्डी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

No. 1795/XVII—88-1971

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Kanpur Tatha Meerut Vishwavidyalaya (Sanshodhan Tatha Sankramankalin Upabandh) Adhyadesh, 1971 (Uttar Pradesh Adhadesh Sankhya 4 of 1971), promulgated by the Governor on April 28, 1971.

THE KANPUR AND MEERUT UNIVERSITIES (AMENDMENT AND TRANSITIONAL PROVISIONS) ORDINANCE. 1971.

(U. P. ORDINANCE NO. 4 OF 1971)

AN

ORDINANCE

further to amend the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965 and to make certain transitional and validating provisions, and to provide for matters connected therewith.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:

Short title.

1. This Ordinance may be called the Kanpur and Meerut Universities (Amendment and Transitional Provisions) Ordinance, 1971.

Insertion of new section 47-A in U. P. Act no. 13 of 1956.

2. *After* section 47 of the Kanpur nad Meerut Universities Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted* namely:

Savings.

"47-A. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be called in question merely on the ground of the existence of any vacancy in the membership thereof or any defect in its constitution, or of

some person having taken part in the proceedings thereof who is subsequently discovered not to have been entitled so to do."

Temporary amendments in the Act and validation.

3. (1) The principal Act shall during a period beginning on the date specified in column III of Schedule I and ending on the expiration of three years (or such shorter period as the State Government may by notification in the *Gazette* direct), from the date or promulgation of this Ordinance, have effect and be deemed to have had effect subject to the amendments specified in columns I and II of the said Schedule.

(2) Anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the principal Act as amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Orders, specified in Schedule II shall be deemed to have been done or taken under the principal Act amended by this Ordinance and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times any judgment, decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Incorporation of statutes for a temporary period in the Act and their validation.

4. (1) The Statutes of the Kanpur and Meerut Universities purporting to have been made under sub-section (1) of section 31 of the principal Act and published respectively with notifications nos. CI(R)-4699/XV—39(9)-66 and CI(R)-7578/XV—39(9)-66, dated September 28, 1968, in *Gazette Extraordinary* of the same date, as purporting to have been amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1968, published with notification no. CI(R)-10988/XV—39(9)-66, dated December 31, 1968, in the *Gazette Extrarodinary* of the same date (hereinafter in this section referred to as the said First Statutes) are hereby enacted as forming part of the principal Act during a period beginning on September 28, 1968 and ending on the expiration of three years (or such shorter period as the State Government may by notification in the *Gazette* direct), from the date of promulgation of this Ordinance, and the principal Act shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of the said First Statutes, have effect and be deemed to have had effect subject to such provisions.

(2) Anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the said First Statutes shall be deemed to have been done or taken under the said Statutes as enacted by sub-section (1) and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times, any judgment, decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Repeal of U. P. Ordinance no. 2 of 1971.

5. The Kanpur and Meerut Universities (Transitional Provisions) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

SCHEDULE I

[*See* SECTION 3 (1)]

Provision of principal Act	Amendments	Date from which the amendment shall have and be deemed to have had effect
I	II	III
Section 12(4) ..	*Substitute* the words "Executive Council *for* the words Academic Council."	May 17, 1967.
Section 17 ..	*Add* the following proviso : "Provided that for so long as the Court is not duly constituted under section 15, the powers and functions of the Court in relation to holding of Convocation and granting and conferring of degrees, diplomas and other academic distinctions and to on persons mentioned in clause (iv) of section 5 shall be exercised and performed by the Executive Council."	December 8, 1967.
	Add the following second proviso; "Provided further that for so long as the Court is not duly constituted, the powers and functions relating to the framing of additional statutes and of amending and repealing the statutes so framed [but not the statutes referred to in section 3 of the Kanpur and Meerut Universities (Transitional Provisions) Ordinance, 1971] shall be exercised and performed by the State Government, and the provisions of section 31 shall not apply in relation to the exercise and performance of such powers and functions."	Junuary 16, 1971.
Section 18 ..	*Add* the following sub-section ; "(4) For so long as the Executive Council is not duly constituted under sub-section (1), it shall consist of— (i) the Vice-Chancellor; and (ii) not more than nineteen other persons, to be nominated by the State Government from time to time and for such respective terms as may be specified."	March 10, 1967.
Section 19(3)	*Omit*	May 17, 1967.

I	II	III
Section 20(3) and (4).	*Omit*	May 17, 1967.
Section 26(4)	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "selection committee of the University in the subject concerned."	May 17, 1967.
Section 33(1)	*Omit* clauses (*b*) and (*c*) of the proviso thereto ..	May 17, 1967.
Section 37(1)	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Academic Council."	May 17, 1967.
Section 37(4)	*Omit*	May 17, 1967.

SCHEDULE II

[See *section* 3(2)]

(1) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1967, publihsed with notification no. CI-1540/XV—39(74)-66, dated March 10, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(2) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1967, published with notification no. CI/2177/XV—39(74)-1966, dated May 17, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(3) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1967, published with notification no. CI(R)/4939/XV—39(74)-1966, dated July 15, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(4) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Fourth) Order, 1967, published with notification no. CI/8594/XV—39-A(19)-1967, dated December 8, 1967, in the Gazette *Extrarodinary* of the same date.

(5) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1968, published with notification no. CI(R)/3670/XV—39(74)-1966, dated May 7, 1968, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(6) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1968, published with notification no. CI(R)/9035/XV—39(9)-1966, dated December 31, 1968, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

B. GOPALA REDDI,
Governor,
Uttar Pradesh.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११५ एल० सी०—१९७२—२००।